कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

07
अध्याय

पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। यह क्षेत्र, जो कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ने देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत (2021-22) की अंश के साथ वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख संचालक रहे हैं।

तिलहन तथा खाद्य तेलों के उत्पादन और घरेलू आपूर्ति में वृद्धि, चीनी क्षेत्र में किए गए भागीदारी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा किया गया। सिंचाई एवं प्राकृतिक खेती में जल संरक्षण के माध्यम से स्थायी कृषि की आवश्यकता और फसल उत्पादकता, मशीनीकरण आदि में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह इस बात पर भी चर्चा करता है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का उपयोग कैसे किया जाए। इसके अलावा, नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। वर्ष 2014 की पिछली एसएएस रिपोर्ट की तुलना में अकेले फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दी है।

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्र लगातार उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। वर्ष 2019-20 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। जैसा कि नवीनतम एसएएस द्वारा पता चला है, यह क्षेत्र कृषि परिवारों के समूहों में आय का एक स्थिर स्रोत रहा है, जो उनकी औसत मासिक आय का लगभग 15 प्रतिशत है। संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में यह सुधार किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसने किसानों की आय में सुधार के लिए संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया है। हाल के कार्यक्रमों और इसकी क्षमता का दोहन करने की पहल के साथ संबद्ध क्षेत्रों की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो न केवल कृषि उपज का एक प्रमुख बाजार है, बल्कि कृषि में लगे अधिशेष कार्यबल का एक महत्वपूर्ण नियोक्ता भी है। इसलिए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, रियायती परिवहन तथा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की औपचारिकता के लिए समर्थन के विभिन्न उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक का संचालक है। सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रावधानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क के कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया है। खाद्य खरीद, आवंटन, भंडारण तथा खाद्य सब्सिडी के मुद्दे सहित भारत के खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ प्रभावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी उपायों को भी अध्याय में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। अध्याय उर्वरक क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ समाप्त होता है।

परिचय

7.1 वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में 3.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर से वृद्धि हुई। यह अच्छे मानसून तथा ऋण उपलब्धता में वृद्धि, निवेश में सुधार, बाजार सुविधाएं बनाने, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र में गुणवत्ता साधन के प्रावधान को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी उपायों के कारण संभव हो गया। अन्य विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं (एएनबी तथा अन्य योजनाओं पर संबंधित वर्गों के तहत चर्चा की गई) के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) अभियान के रूप में समय पर भागीदारी ने कृषि को वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि हासिल करने में मदद की है। चित्र 1 पिछले साढ़े पांच वर्षों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि (प्रतिशत में)

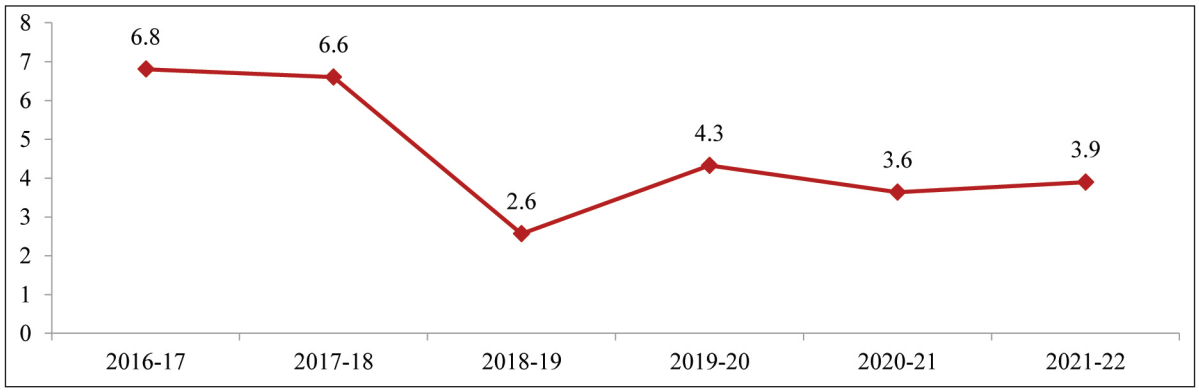

स्रोत: राष्ट्रीय आय का प्रथम अग्रिम अनुमान, 2021-22

7.2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि जैसा कि चित्र-1 में दर्शाया गया है, को चित्र-2 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के चार घटकों जैसे फसल, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग तथा मछली पकड़ने और मत्स्य पालन में वृद्धि दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि पशुधन एवं मत्स्य पालन में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे इस क्षेत्र को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, 2018-19 में कृषि में वृद्धि पशुधन एवं मत्स्य पालन के प्रदर्शन से उत्साहित थी, भले ही फसलों के लिए जीवीए वृद्धि -1.6 प्रतिशत थी।

चित्र 2: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए वृद्धि (2011-12 की मूल्यों पर)

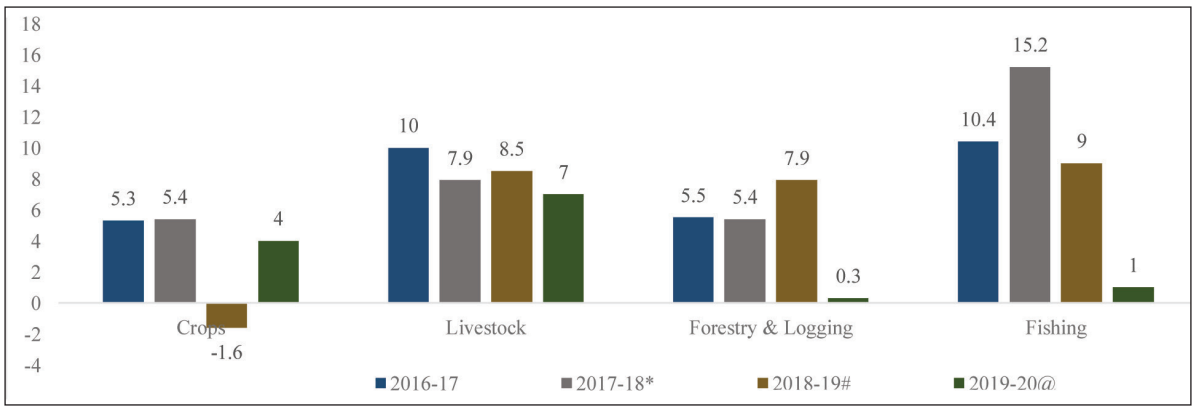

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
'तीसरा संशोधित अनुमान, दूसरा संशोधित अनुमान, / पहला संशोधित अनुमान 29 जनवरी, 2021 को जारी किया गया।

कृषि में वर्धित सकल मूल्य (जीवीए)

7.3 पिछले दस वर्षों के लिए वर्तमान मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में प्रवृत्ति चित्र 3 में प्रस्तुत की गई है। अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। हालांकि, कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20.2 प्रतिशत और 2021-22 में 18.8 प्रतिशत हो गई।

चित्र 3: कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का प्रतिशत हिस्सा (मौजूदा मूल्य पर)

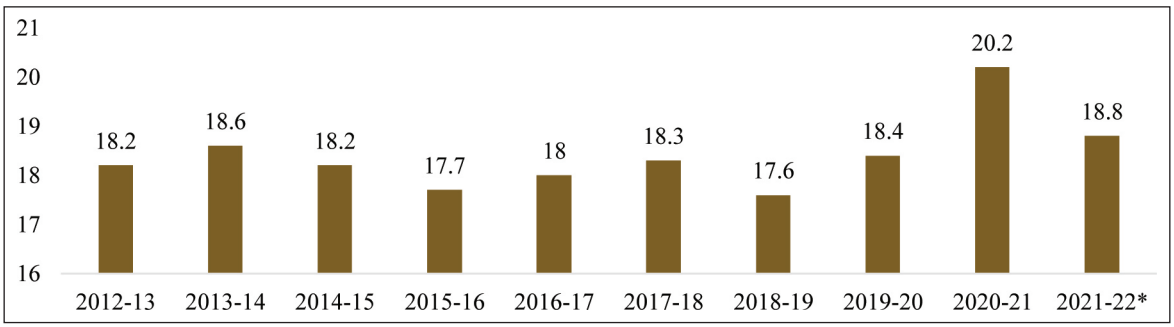

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू के आंकड़ों पर आधारित।

'राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2021-22 के अनुसार।

7.4 इसके घटकों के बीच कृषि के जीवीए के हिस्से के वितरण में प्रवृत्ति चित्र 4 में प्रस्तुत की गई है। फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों में उच्च विकास के बाद के कुल कृषि जीवीए में पूर्व के बढ़ते महत्व के संदर्भ में स्पष्ट निहितार्थ हैं। यह देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान कुल कृषि जीवीए में पशुधन और मछली पकड़ने और मत्स्य पालन की हिस्सेदारी में सुधार हुआ है। संबद्ध क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति (डीएफआई 2018) डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी को उच्च विकास के इंजन के रूप में मानती है और एक सहवर्ती समर्थन प्रणाली के साथ एक केंद्रित नीति की सिफारिश की है।

चित्र 4: कुल कृषि जीवीए में फसल एवं संबद्ध क्षेत्रों के जीवीए का प्रतिशत हिस्सा (मौजूदा मूल्य पर)

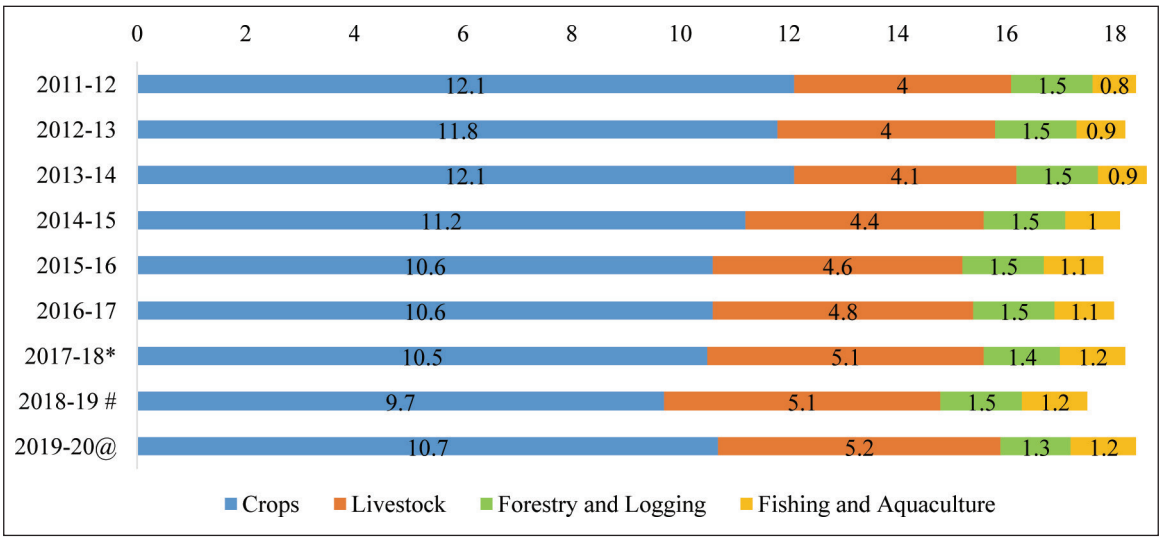

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू डेटा पर आधारित

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश

7.5 किसी क्षेत्र के विकास के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) क्षेत्र में जीवीए के सापेक्ष उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिख रहा है जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है। क्षेत्र में जीसीएफ में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि चित्र 5 में देखा जा सकता है, जबकि सार्वजनिक निवेश पिछले कुछ वर्षों में 2-3 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा है, निजी निवेश में उतार-चढ़ाव आया है और कुल कृषि जीसीएफ निजी निवेश में भिन्नता के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है।

7.6 यह स्वीकार करते हुए कि कृषि में पूंजी निवेश एवं इसकी विकास दर के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, इस क्षेत्र में उच्च सार्वजनिक एवं निजी निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित एवं लक्षित दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों को रियायती संस्थागत ऋण तक उच्च पहुंच तथा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की अधिक भागीदारी, जिनकी निवेश दरें वर्तमान में कृषि1 में 2 से 3 प्रतिशत तक कम हैं,[1] कृषि में निजी निवेश को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। संपूर्ण कृषि मूल्य प्रणाली के साथ-साथ एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे की पेशकश तथा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके निजी कॉर्पोरेट निवेशों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

चित्र 5: इसके जीवीए के सापेक्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ का प्रतिशत हिस्सा (2011-12 मूल कीमत पर)

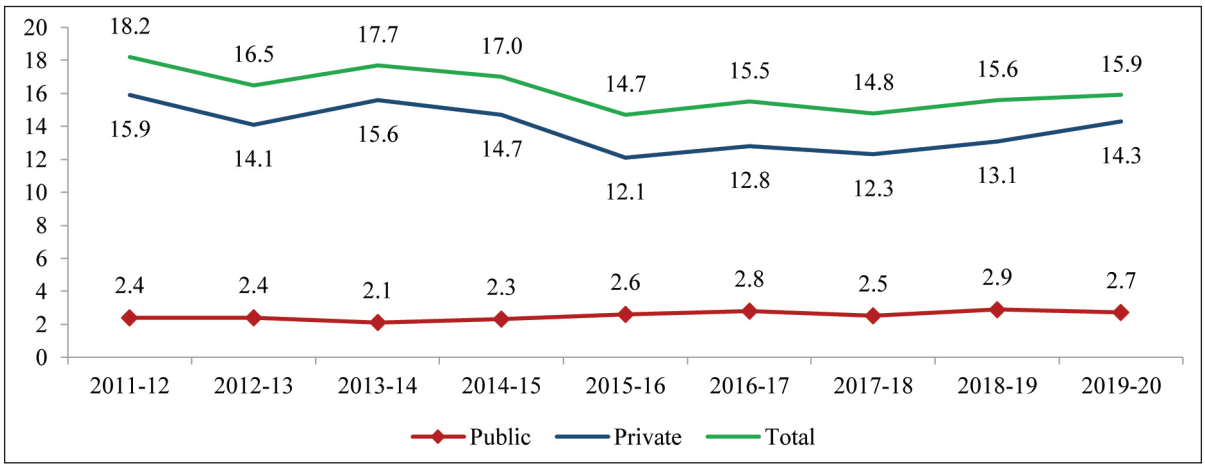

स्रोत: डीएएफडबल्यू एवं कृषि सांख्यिकी पर एक नजर, 2020 के आंकड़ों पर आधारित।

कृषि-संबंधी उत्पादन

7.7 वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान की तुलना में 11.15 मिलियन टन अधिक है। पिछले छह वर्षों यानी 2015-16 से 2020-21 के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन क्रमशः 2.7, 2.9 और 4.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान दलहन, तिलहन और कपास के लिए सीएजीआर क्रमशः 7.9, 6.1 और 2.8 प्रतिशत रहा है। चित्र 6 पिछले छह वर्षों में कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

[1]किसानों की आय दोगुनी करने की रिपोर्ट, 2018

चित्र 6: कृषि उत्पादन में प्रवृत्ति (मिलियन टन)

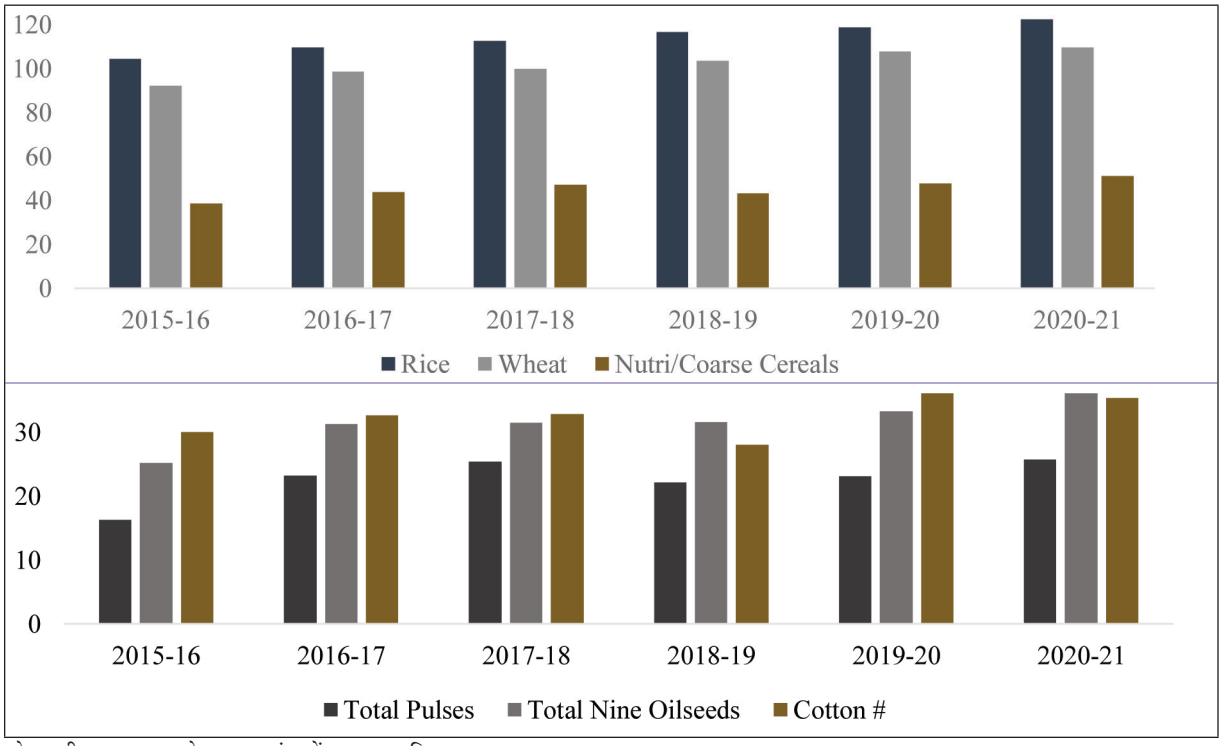

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित
#170 किग्रा प्रत्येक की मिलियन गांठें।

7.8 वर्ष 2021-22 (केवल खरीफ) के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 150.50 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2020-21 के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से 0.94 मिलियन टन अधिक है।

खाद्य तेल

7.9 भारत प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों में से एक है। जैसा कि चित्र-7 से देखा जा सकता है कि निरंतर उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाने के बाद भारत में तिलहन उत्पादन में 2016-17 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक लगभग 43 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि भारत में तेल उत्पादन अपनी खपत से पिछड़ गया है जिसके कारण खाद्य तेलों का आयात आवश्यक हो गया है (चित्र 8)।

7.10 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं वनस्पति तेल का नंबर एक आयातक है। जैसे-जैसे विकासशील देशों में शहरीकरण बढ़ता है, आहार संबंधी आदतों एवं पारंपरिक भोजन पैटर्न के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ने की उम्मीद होती है, जिनमें वनस्पति तेल की मात्रा अधिक होती है। इसलिए, भारत में वनस्पति तेल की खपत उच्च जनसंख्या वृद्धि एवं परिणामी शहरीकरण के कारण उच्च रहने की उम्मीद है। ओईसीडी-एफएओ एग्रिकल्चरल आउटलुक 2021-2030 के अनुसार भारत को प्रति-व्यक्ति वनस्पति तेल की खपत में 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि को बनाए रखने का अनुमान है, जो 2030 तक 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 3.4 प्रतिशत की उच्च आयात वृद्धि की आवश्यकता होगी।

चित्र 7: तिलहन के उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन)

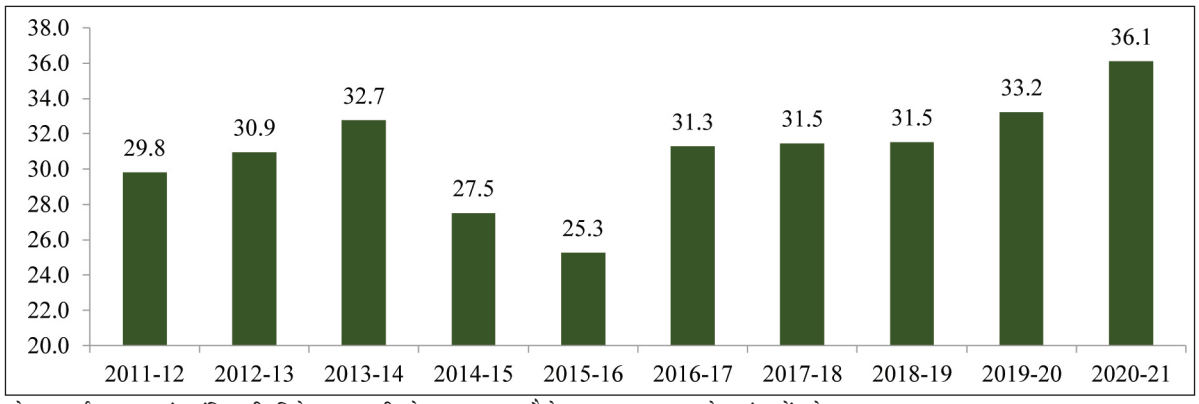

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट पर चौथे उन्नत अनुमान के आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 8: तेल का उत्पादन एवं आयात (मिलियन टन)

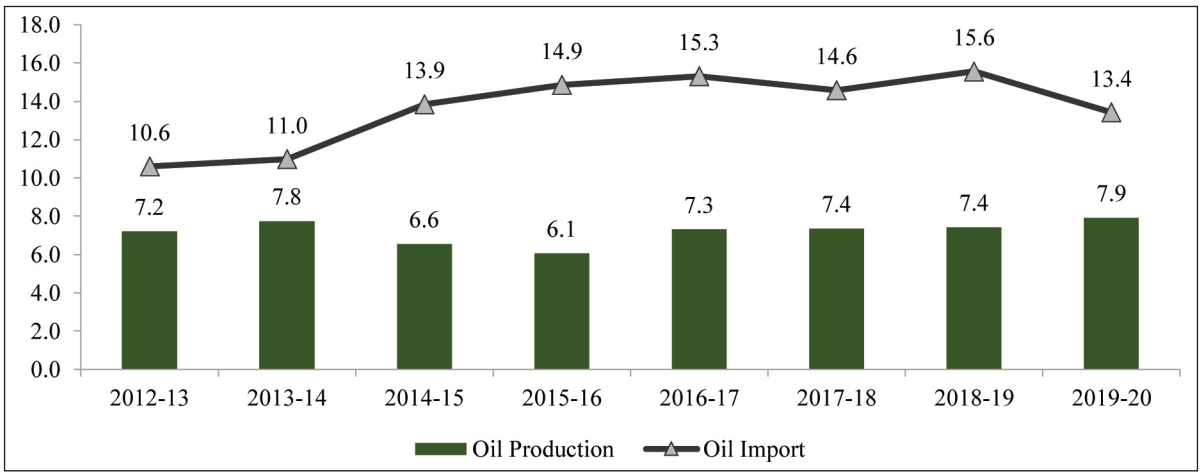

स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2020, के आंकड़ों पर आधारित

7.11 खाद्य तेल के लगातार उच्च आयात को देखते हुए तेल उत्पादन में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार भारत के सभी जिलों में 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: तिलहन (एनएफएसएम-तिलहन) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, मूल एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन तथा प्रमाणित बीजों का वितरण एवं नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनीकिटों का प्रबंधन किया जाता है। एनएफएसएम (तिलहन) के तहत भारत सरकार ने उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान 36 तिलहन बीज केंद्र स्थापित किए हैं। खरीफ 2021 के लिए, सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के कुल 9.25 लाख तिलहन मिनीकिट आवंटित किए गए हैं। साथ ही, सरकार एमएसपी व्यवस्था के माध्यम से तिलहन के उत्पादन के लिए फसल विविधीकरण के लिए मूल्य संकेत प्रदान कर रही है (जिसकी चर्चा बाद में अध्याय में की गई है)।

7.12 इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2021 में क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके तथा मूल्य प्रोत्साहनों के माध्यम से देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पामऑयल (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, सरकार पहली बार ताड़ के तेल किसानों को ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) के लिए मूल्य आश्वासन देगी। इसे व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) के रूप में जाना जाएगा जो किसानों को अंतरराष्ट्रीय कच्चे पाम तेल (सीपीओ) की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाएगा।

7.13 भारत में पाम तेल की खेती और सीपीओ के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में ही पाम तेल की खेती होती है। अन्य तिलहन फसलों की तुलना में पाम ऑयल प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक तेल का उत्पादन करता है और प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन तेल की उपज होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि आज भी लगभग 98 प्रतिशत सीपीओ आयात किया जा रहा है (ताड़ के तेल का उत्पादन एवं आयात चित्र 9 में दर्शाया गया है); एनएमईओ-ओपी को सरकार की एक बड़ी पहल माना जा सकता है। इस योजना का लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करना है और इस तरह अंततः 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचना है। साथ ही, इस योजना का लक्ष्य सीपीओ का उत्पादन 2025-26 तक 11.20 लाख टन एवं 2029-30 तक 28 लाख टन तक प्राप्त करने का है।

चित्र 9: पाम तेल का उत्पादन और आयात (लाख टन)

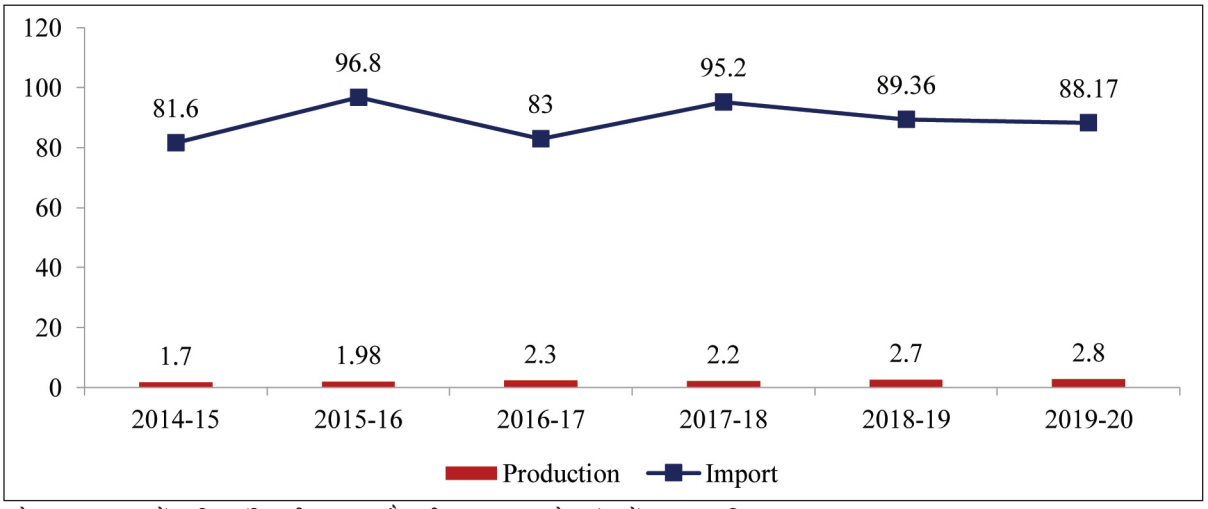

स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2020 और डीएएफडब्ल्यू के आंकड़ों पर आधारित।

चीनी क्षेत्र

7.14 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गन्ना एवं चीनी उद्योग के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह 5 करोड़ से अधिक किसानों एवं उनके आश्रितों की आजीविका को प्रभावित करता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 35.5 करोड़ टन है जिसका उपयोग लगभग 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 में घरेलू खपत लगभग 2.6 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत चीनी आधिक्य राष्ट्र बन गया है, जैसा कि चित्र-10 में चीनी उत्पादन एवं खपत की प्रवृत्ति से परिलक्षित होता है। वर्ष 2010-11 के बाद से, उत्पादन वर्ष 2016-17 को छोड़कर खपत से अधिक हो गया है।

7.15 यह सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, किसानों के हितों की रक्षा उचित तथा लाभकारी मूल्य (एफआरपी)[2] द्वारा की जाती है जो दस वर्षों की अवधि में दोगुनी हो गई है (चित्र 11)। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें एफआरपी से अधिक स्तरों पर राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा करती हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को गन्ना आरक्षित क्षेत्र के रूप में ज्ञात एक निर्दिष्ट दायरे के भीतर किसानों से फसल खरीदने के लिए अनिवार्य है। इस तरह, गन्ना किसानों का बीमा किया जाता है तथा मूल्य जोखिम से बचाया जाता है।

[2]एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को गन्ना किसानों से खरीदना होता है।

चित्र 10: चीनी का उत्पादन एवं खपत स्तर (मिलियन टन)

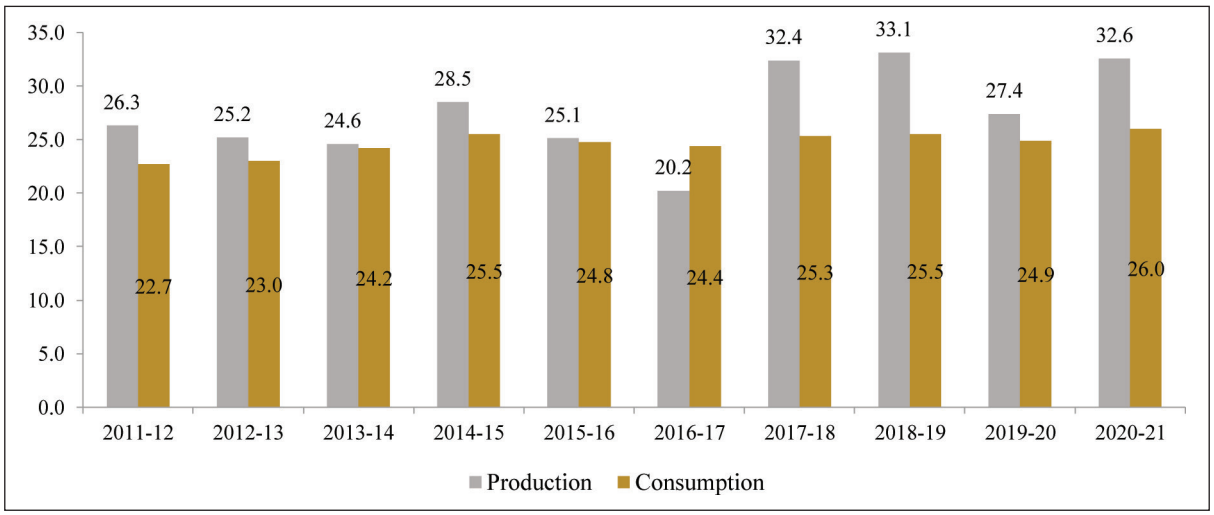

स्रोत: गन्ना पर सीएसीपी रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर।

7.16 इसके अलावा, आधिक्य उत्पादन को संभालने और मिलों की कोष(नकदी) बढ़ाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना / चीनी को इथेनॉल उत्पादन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना, चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी मिलों को परिवहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चीनी सीजन 2020-21 में चीनी सीजन 2019-20 में 59.60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है। इसके अलावा, चीनी मौसम वर्ष 2021-22 में चीनी के निर्यात के लिए लगभग 30 लाख मीट्रिक टन के अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले चार चीनी मौसमों में, चीनी मिलों/ डिस्टिलरी द्वारा तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से लगभग 35000 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया को चुकाने में मदद मिली है।

चित्र 11: उचित और लाभकारी मूल्य में प्रवृत्ति (₹/क्विंटल)

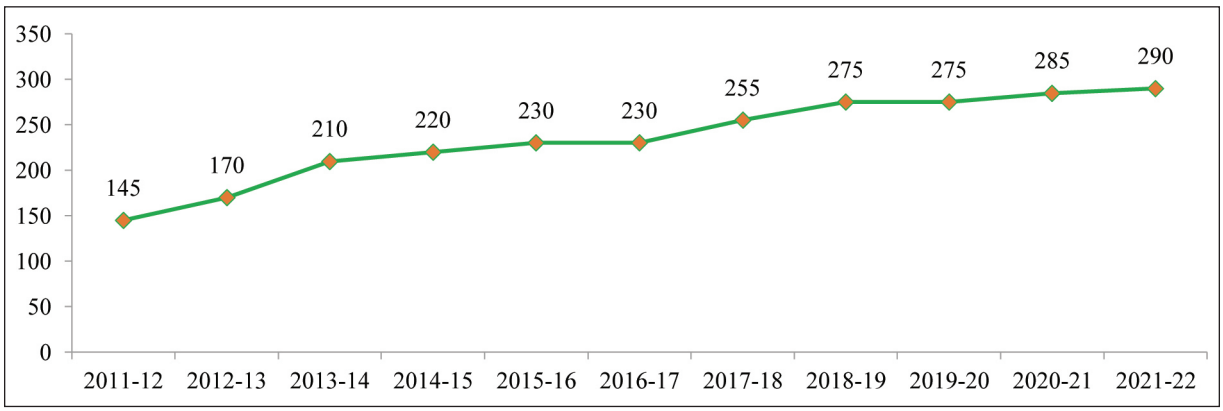

स्रोत: सीएसीपी वेबसाइट के आंकड़ों के आधार पर

मूल्य नीति: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

7.17 प्रमुख कृषि उत्पादित वस्तुओं के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है ताकि उच्च निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और इस तरह उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद 22 अनिवार्य कृषि फसलों का एमएसपी तय करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें शामिल हैं – जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीला), सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर (मसूर), रेपसीड और सरसों, कुसुम और 2 व्यावसायिक फसलें जैसे जूट और खोपरा। इसके अलावा, तोरिया और छिलके वाले नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड और सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है।

7.18 अर्थव्यवस्था, भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग तथा उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के अलावा एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन की लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

7.19 वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी, जिसमें अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी हुई थी।

7.20 इसी सिद्धांत के अनुरूप, सरकार ने वर्ष 2021-22 की सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल (₹ 452 प्रति क्विंटल) तथा उसके बाद अरहर एवं उड़द (₹ 300 प्रति क्विंटल) के लिए की गई है। मूंगफली तथा नाइजरसीड के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 275 प्रति क्विंटल और ₹ 235 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरे (85 प्रतिशत) के मामले में उत्पादन लागत से अधिक किसानों को अपेक्षित प्रतिफल सबसे अधिक होने का अनुमान है। उड़द तथा तूअर के लिए, उत्पादन लागत से अधिक किसानों को वापसी क्रमशः 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत अनुमानित है। शेष फसलों के लिए, किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत (चित्र 12) की वापसी का अनुमान है।

चित्र 12: वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रतिफल

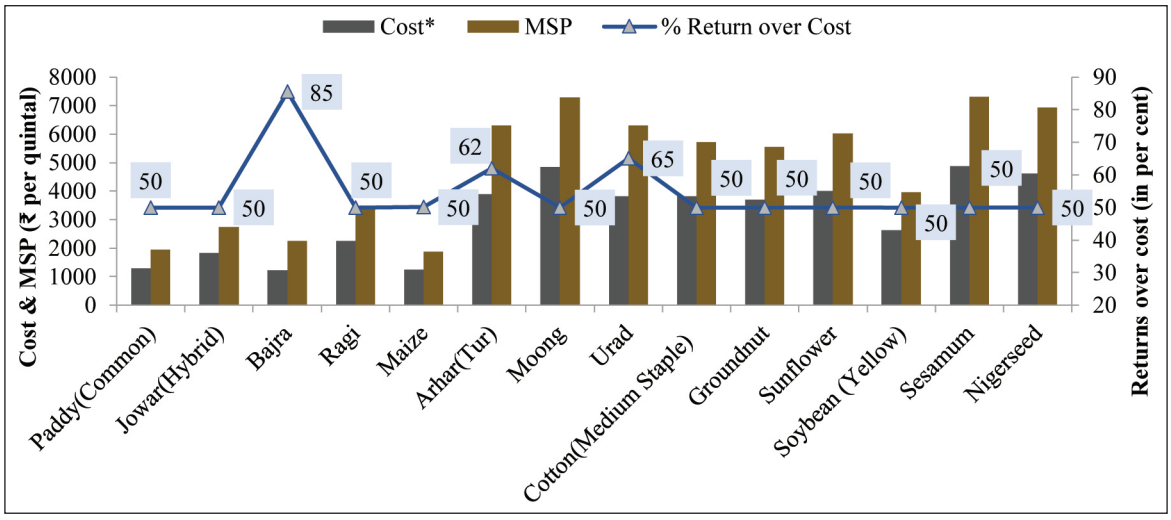

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

7.21 सरकार ने रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी की भी घोषणा की। पोषण संबंधी आवश्यकताओं, बदलते आहार पैटर्न और दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने इन फसलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक एमएसपी तय किया है (चित्र 13)। मसूर और रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में उच्चतम वृद्धि की सिफारिश की गई है, प्रत्येक में 400 रुपये प्रति क्विंटल है, इसके बाद चना 130 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के लिए 114 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित प्रतिफल गेहूं और रेपसीड और सरसों के मामले में 100 प्रतिशत प्रत्येक के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। मसूर और चना के लिए, उत्पादन लागत से अधिक किसानों को वापसी का अनुमान क्रमशः 79 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है और जौ तथा कुसुम के लिए यह क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत है। अंतर पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

चित्र 13: वर्ष 2021-22 की रबी फसलों की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रतिफल

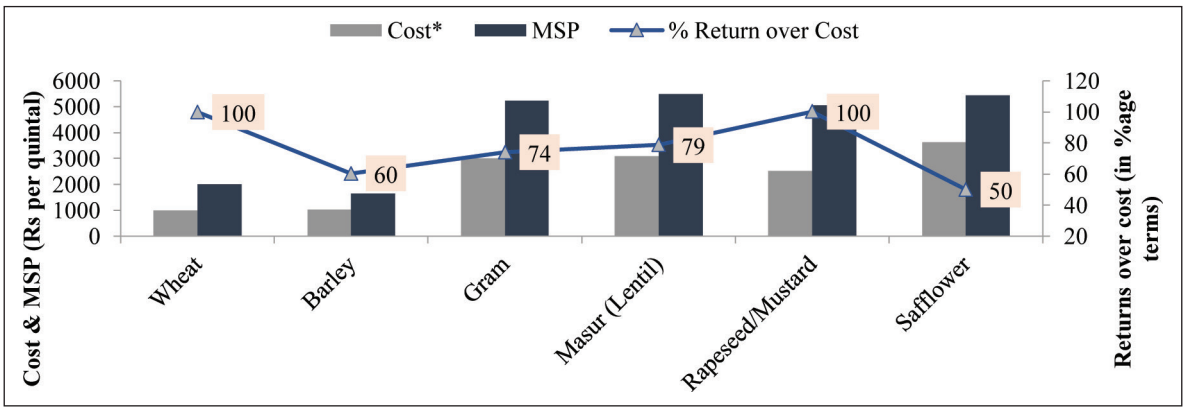

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

स्रोत: सीएसीपी के आंकड़ों पर आधारित।

फसल विविधीकरण

7.22 फसल विविधीकरण स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों के लिए उच्च आय को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीएफआई समिति की रिपोर्ट बताती है कि कुछ क्षेत्र को प्रधान अनाज से उच्च मूल्य की उपज में स्थानांतरित करने से किसानों के लिए रिटर्न में काफी वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य की स्थिरता भी आएगी। मौजूदा फसल पैटर्न गन्ना, धान और गेहूं की खेती की ओर झुका हुआ है जिसके कारण हमारे देश के कई हिस्सों में ताजे भूजल संसाधनों की व्यापक दर से कमी आई है। मानचित्र 1 भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आधारभूत जल दबाव[3] को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जिन क्षेत्रों में धान, गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें उच्च से लेकर अत्यधिक उच्च तनाव स्तर होते हैं।

[3]आधारभूत जल दबाव का तात्पर्य कुल वार्षिक जल निकासी का कुल उपलब्ध वार्षिक नवीकरणीय आपूर्ति से अनुपात है

मानचित्र 1: 2015 में भारत के विभिन्न हिस्सों में आधारभूत जल अभाव

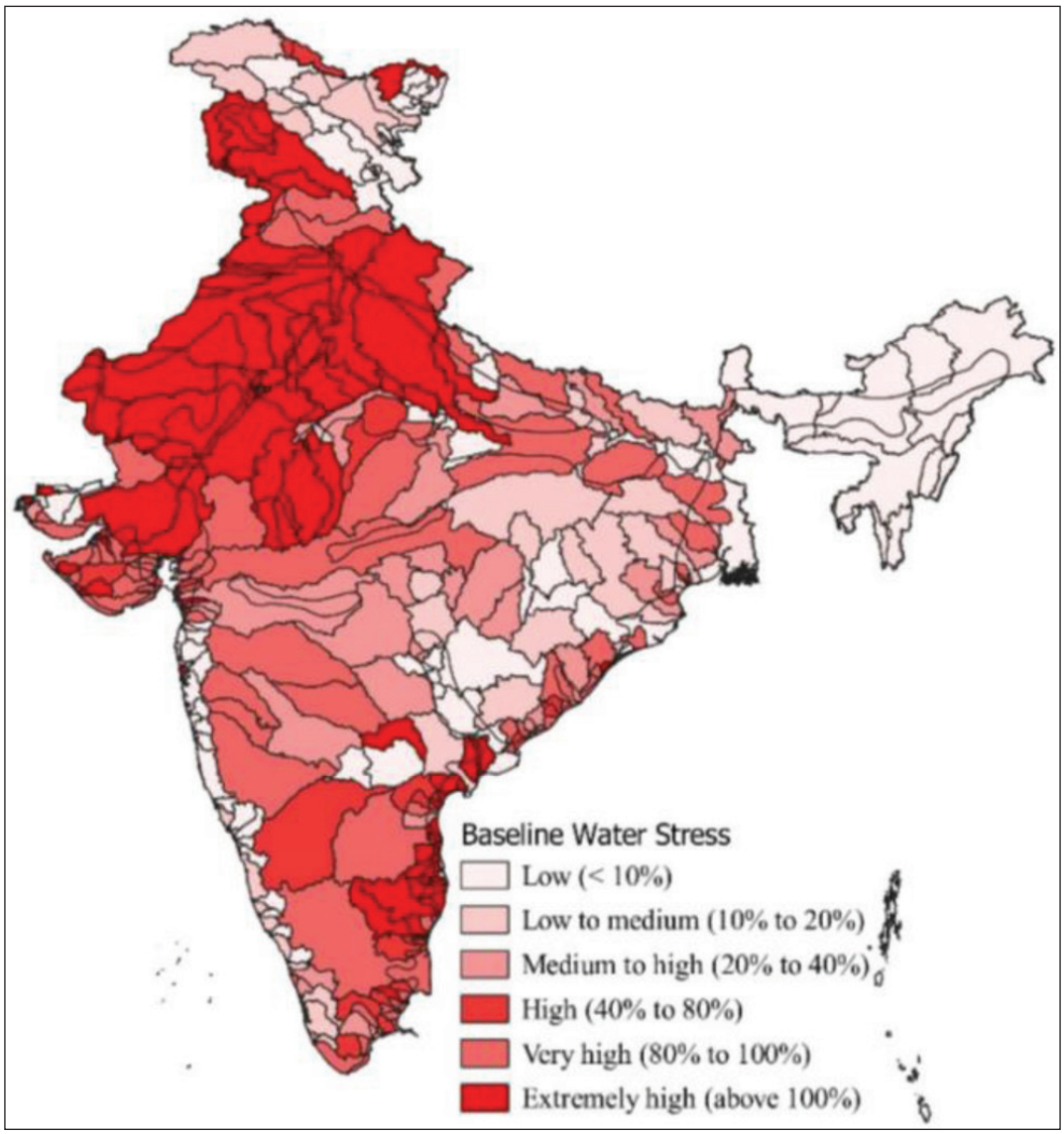

स्रोत: विश्व संसाधन संस्थान

7.23 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) मूल हरित क्रांति राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी यूपी में वर्ष 2013-14 से धान के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि की खेती को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उप-योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से लागू सीडीपी तंबाकू उगाने वाले राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली में तंबाकू की खेती के तहत क्षेत्रों को स्थानांतरित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 120 करोड़ की राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में (मूल हरित क्रांति राज्यों में सीडीपी के लिए 110 करोड़ और तंबाकू की खेती को बदलने के लिए सीडीपी को ₹ 10 करोड़) निर्धारित की गई है।

7.24 भारत में फसल विविधीकरण को मूल्य नीति के माध्यम से भी लक्षित किया गया है। एमएसपी व्यवस्था के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संरचना से फसलों की लागत पर वापसी में भिन्नता का फसल

विविधीकरण पर भी असर पड़ता है। चित्र 14 और 15 खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए चयनित फसलों में बदले में अंतर-अस्थायी भिन्नता दिखाते हैं।

चित्र 14 : खरीफ विपणन मौसमों में फसलों के लिए लागत से अधिक लाभ (प्रतिशत) में भिन्नता

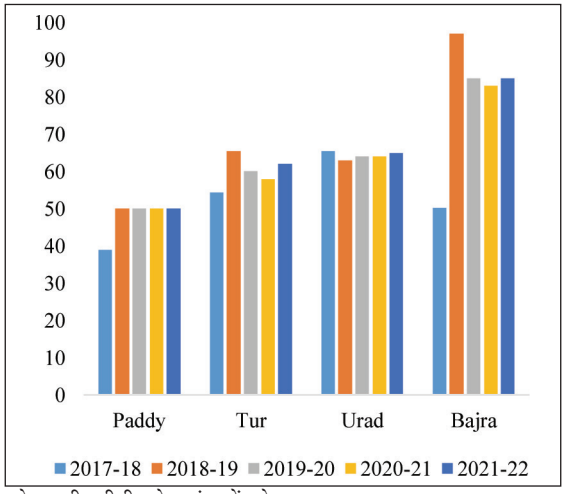

चित्र 15 : रबी विपणन मौसमों में फसलों के लिए अधिक लाभ (प्रतिशत) में भिन्नता

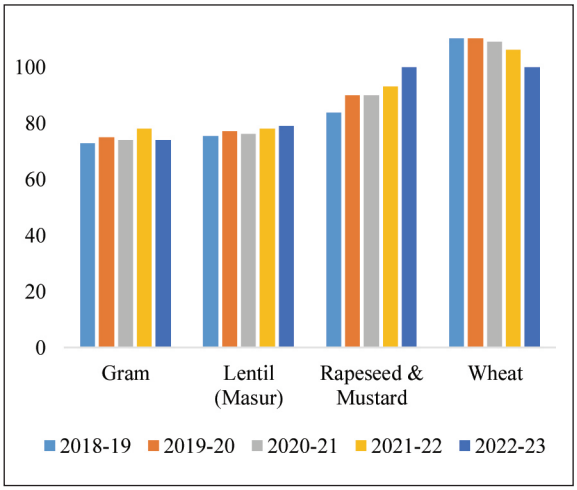

स्रोत: सीएसीपी के आंकड़ों के आधार पर

कृषि-संबंधी ऋण

7.25 वर्ष 2020-21 के लिए कृषि संबंधी ऋण वर्ष के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ के लक्ष्य के तुलना में ₹ 15,75,398 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि संबंधी ऋण लक्ष्य ₹ 16,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया है और 30 सितंबर 2021 तक इस लक्ष्य के समक्ष ₹ 7,36,589.05 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, एएनबी घोषणा के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन की घोषणा की है । इसके अनुसरण में बैंकों ने 17 जनवरी 2022 तक 2.70 करोड़ योग्य किसानों को केसीसी जारी किया है। इसके अलावा, पशुपालन एवं मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी की सुविधा प्रदान की। इसके अनुसरण में, 17 दिसंबर, 2021 तक मछुआरों एवं मछली पालन करने वाले किसानों को कुल 67,581 केसीसी जारी किए गए हैं और 10 दिसंबर, 2021 तक पशुपालन तथा डेयरी किसानों के लिए 14 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

जल एवं सिंचाई

7.26 जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो देश में वर्तमान जल उपयोग का लगभग 80 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से लगभग 40 प्रतिशत नहर प्रणाली के माध्यम से और 60 प्रतिशत भूजल के माध्यम से सिंचित है।

7.27 देश में भूजल विकास का समग्र चरण (वार्षिक भूजल ड्राफ्ट और शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता का अनुपात) 63 प्रतिशत[4] है। यह अनुपात जो भूजल के निष्कर्षण की दर को दर्शाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में बहुत अधिक (100 प्रतिशत से अधिक) है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी 70-100 प्रतिशत के बीच के अनुपात के साथ मध्यम श्रेणी में आते हैं

[4]भूजल वार्षिकी, 2019-20

(मानचित्र 2)। इन राज्यों को मध्यम तथा दीर्घकालिक भूजल पुनर्भरण और संरक्षण योजनाओं दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मानचित्र 2: वर्ष 2020 में भूजल निकासी की स्थिति (प्रतिशत में)'

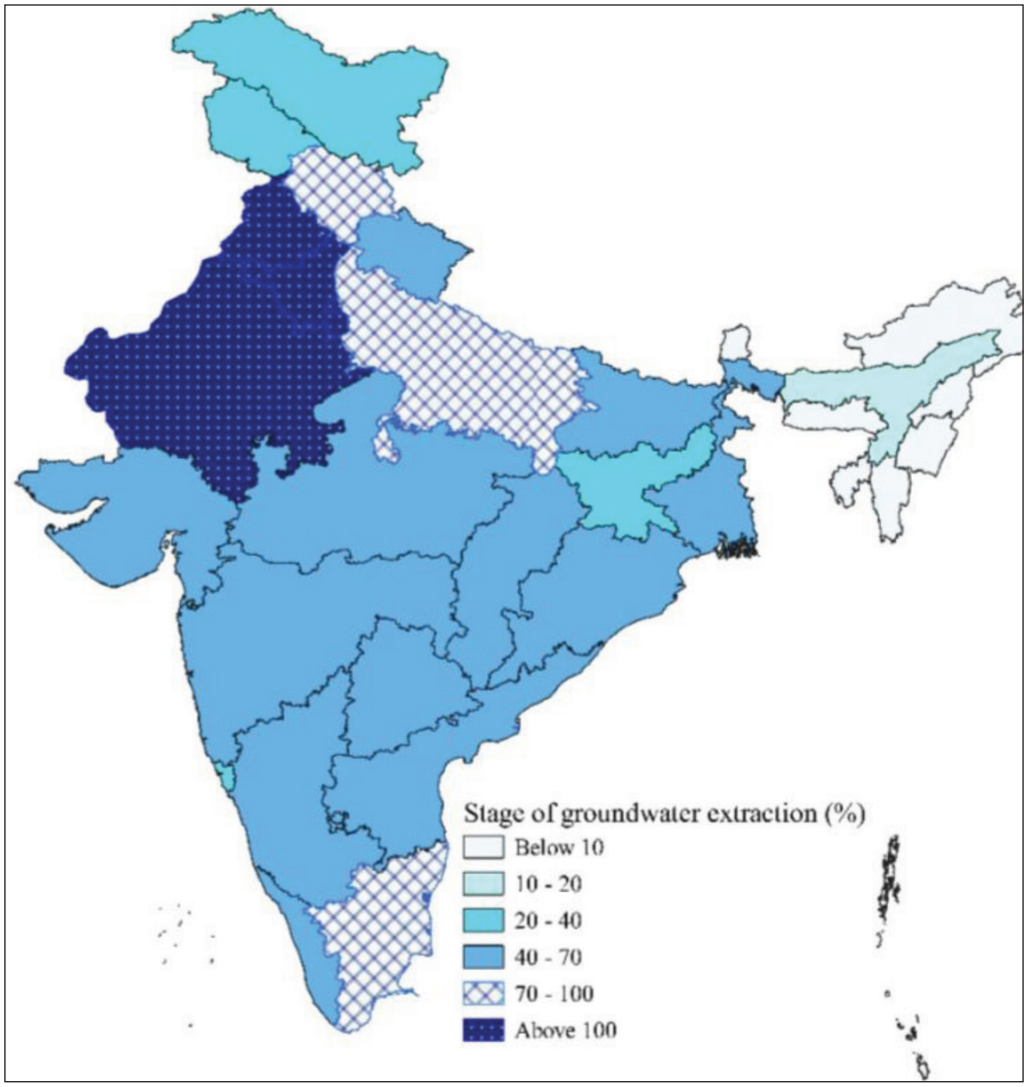

स्रोत: भूजल वार्षिकी, 2019-20

' पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2013 तक के आकलन पर विचार किया गया है और जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के डेटा का उपयोग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया जाता है।

7.28 सूक्ष्म सिंचाई के तहत बढ़ा हुआ आवृत क्षेत्र जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ 5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) गठित किया गया । दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार, एमआईएफ के तहत ऋण वाली परियोजनाएं 12.81 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के लिए 3970.17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए देश में सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम

को बढ़ावा दे रही है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत, दिनांक 14.12.2021 तक, वर्ष 2015-16 से देश में कुल 59.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।

कृषि-संबंधी विपणन

7.29 थोक कृषि विपणन संबंधित राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित 6946 विनियमित थोक बाजारों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, एपीएमसी को एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत योग्य संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। एआईएफ के तहत सभी ऋणों पर ₹ 2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट है। यह आर्थिक सहायता अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। एपीएमसी अपने निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर कई परियोजनाओं (विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकार) के लिए योग्य हैं। ऐसे मामलों में, एपीएमसी के निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एवं परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

7.30 इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। ई-एनएएम योजना के तहत, सरकार गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और कंपोस्ट यूनिट आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए प्रति एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और ₹ 75 लाख की सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 1 दिसंबर 2021 तक, 18 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

7.31 भारत सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए ''10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन'' की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। योजना के तहत, एफपीओ का गठन तथा बढ़ावा उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र तथा विशेष वस्तु-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, एफपीओ का गठन उत्पाद विशेषज्ञता को सक्षम करने के लिए ''एक जिला एक उत्पाद'' पर केंद्रित है। योजना का उद्देश्य कुशल, लागत प्रभावी एवं स्थायी संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और उनकी उपज के लिए बेहतर कोष और बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च प्रतिफल प्राप्त करना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्थायी बनना है। जनवरी, 2022 तक, कुल 1963 एफपीओ पंजीकृत इस योजना के तहत किए गए। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में एक पूर्ण सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है।

बॉक्स 1: मीठी क्रांति

देश में एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के लिए तीन साल (2020-21 से 2022-23) के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। मिशन की घोषणा एएनबी योजना के एक भाग के रूप में की गई थी। एनबीएचएम का लक्ष्य 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। दिनांक 17.12.2021 तक एनबीएचएम के तहत 88.87 करोड़ रुपये की सहायता के लिए कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी/स्वीकृत किया गया है।

मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो आईएफएस के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों/भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। मधुमक्खी पालन फसलों के परागण में उपयोगी रहा है, जिससे फसल की उपज बढ़ाने और शहद और अन्य उच्च मूल्य मधुमक्खी उत्पादों को उपलब्ध कराने के माध्यम से किसानों/मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि हुई है, जैसे; मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी का जहर, आदि। भारत की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए काफी संभावनाएं और अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 के बीच भारत के शहद के निर्यात में लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्थिति आकलन सर्वेक्षण

7.32 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अपने 77वें दौर में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमि और पशुधन जोत और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन पर एक सर्वेक्षण किया (अब से इस अध्याय में एसएएस के रूप में संदर्भित) । रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई। पिछला एसएएस 2014 में प्रकाशित हुआ था।

7.33 एसएएस रिपोर्ट, कृषि परिवारों के विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के अलावा, उनकी आय और इसके स्रोतों पर अंतर्दृष्टि भी प्रकट करती है। एसएएस 2021 से पता चलता है कि भुगतान किए गए खर्च के दृष्टिकोण के अनुसार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय ₹ 10218 है। इसी दृष्टिकोण से अनुमानित 2014 की अंतिम एसएएस रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय ₹ 6426 थी। दो एसएएस रिपोर्टों के अनुसार आय के स्रोत चित्र 16 में प्रस्तुत किए गए हैं।

चित्र 16: कृषि आधारित उत्पाद की औसत मासिक आय की संरचना

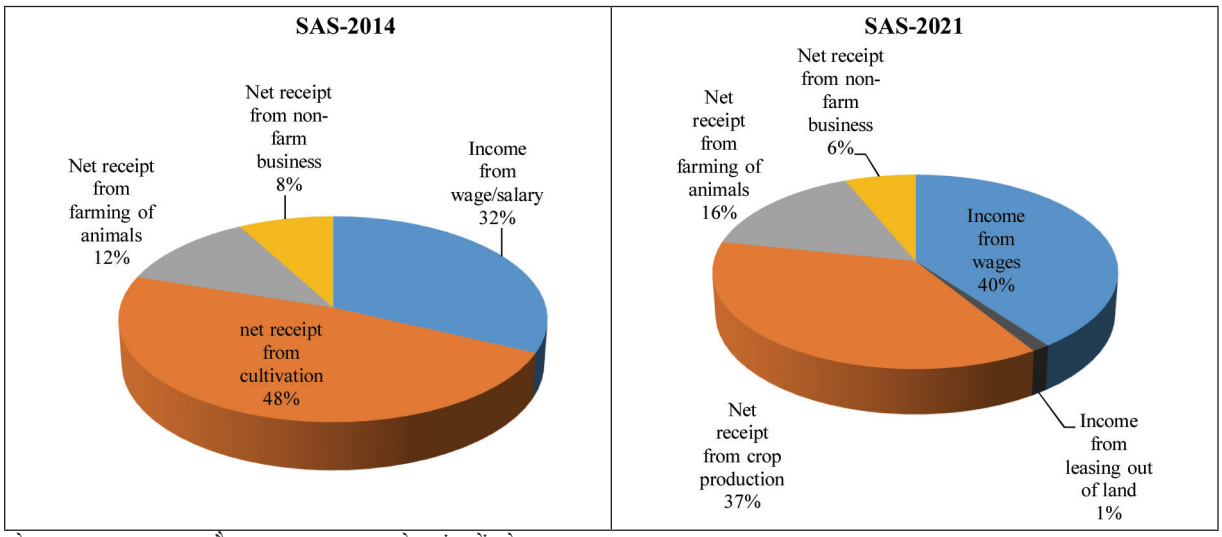

स्रोत: एसएएस, 2014 और एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

7.34 एसएएस रिपोर्ट, 2021 कृषि परिवारों के बीच आय के स्रोतों (चित्र 17) के श्रेणी-वार वितरण को भी दर्शाती है। वर्ष 2014 की पिछली एसएएस रिपोर्ट की तुलना में अकेले फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य स्रोतों से शुद्ध प्राप्तियों में 59 प्रतिशत की कुल शुद्ध प्राप्तियों में वृद्धि के साथ 92.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ फसल आय किसान की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है, हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दे रही है।

चित्र 17: श्रेणी-वार औसत मासिक आय के स्रोत (प्रतिशत)

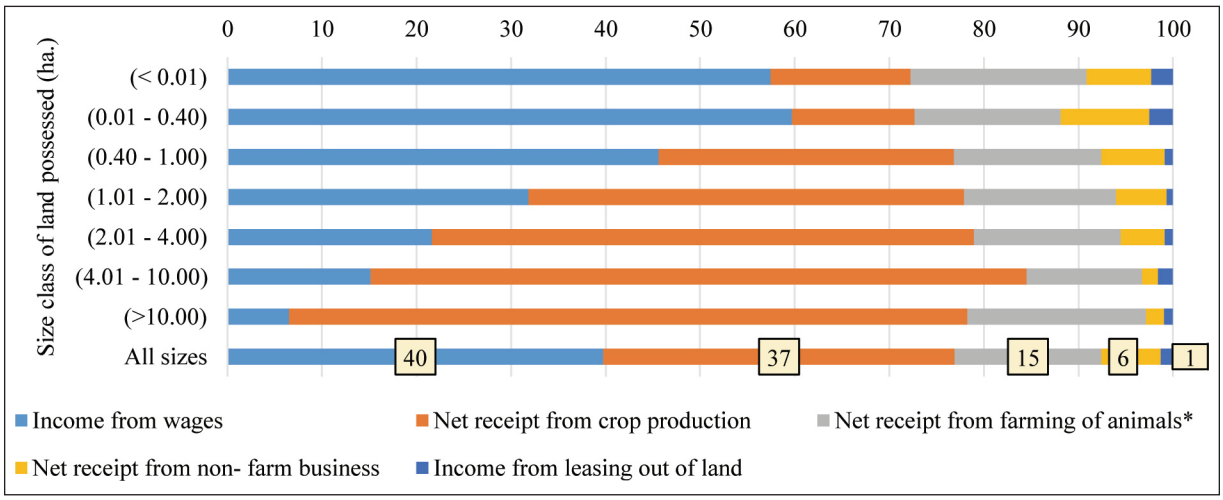

स्रोत: एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

7.35 एसएएस रिपोर्ट, 2021 भी जोत के बढ़ते विखंडन को दर्शाती है जैसा कि चित्र 18 में छोटे किसानों की बढ़ती हिस्सेदारी से स्पष्ट है। घरेलू स्वामित्व वाले जोत का औसत आकार वर्ष 2003 में 0.725 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2013 में 0.592 हेक्टेयर और आगे 0.512 हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2019 छोटे किसानों की बढ़ती संख्या और पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिए छोटे कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, गैर-कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध गतिविधियों के विकास जैसे उपायों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 18: स्वामित्व वाले जोत के आकार श्रेणी के अनुसार परिवारों का वितरण (प्रतिशत)

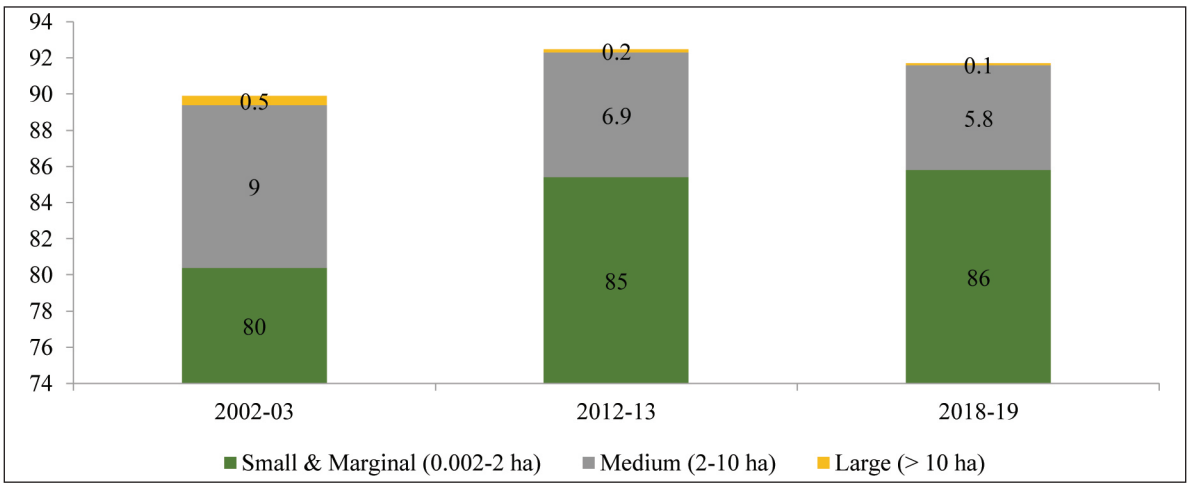

स्रोत: एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

प्राकृतिक खेती

7.36 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य प्रकृति के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ कृषि उत्पादन को बनाए रखना है ताकि कृषि उत्पादों को रसायनों से मुक्त किया जा सके। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों द्वारा मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बहाल किया जाता है। प्राकृतिक कृषि प्रणालियों में कम पानी की आवश्यकता होती है और ये जलवायु के अनुकूल होती हैं।

7.37 भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (बीपीकेपी) की एक समर्पित योजना के माध्यम से भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना बायोमास मल्चिंग, ऑन-फार्म गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग, आवधिक मिट्टी वातन और सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर प्रमुख तनाव के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर हैंडहोल्डिंग, प्रमाणन एवं अवशेष विश्लेषण के लिए 3 साल के लिए 12200 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत शामिल राज्यवार क्षेत्र चित्र 19 में दर्शाया गया है।

चित्र 19: 07.12.2021 को बीपीकेपी के तहत शामिल क्षेत्र (000 हेक्टेयर में)

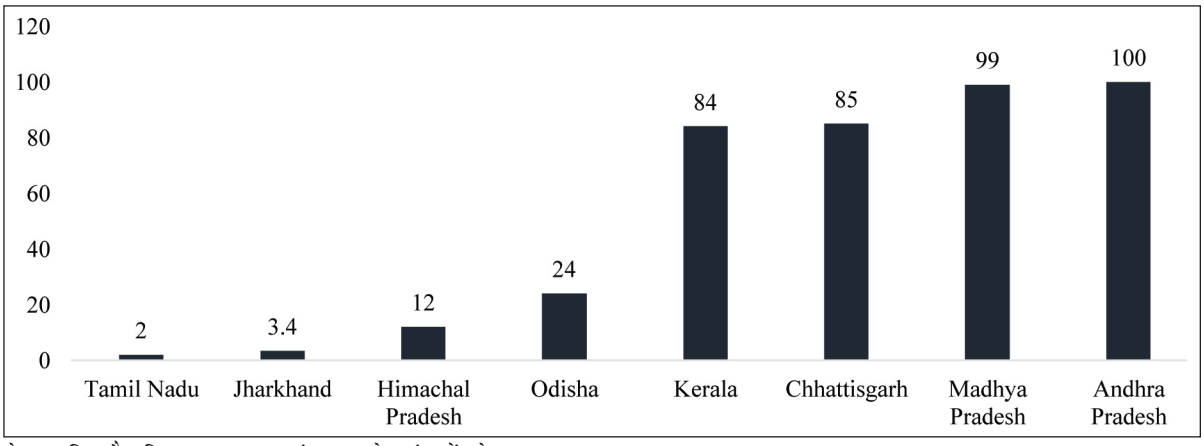

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन और डेयरी

7.38 भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 (स्थिर मूल्यों पर) के दौरान 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी है । कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रवार जीवीए के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमान के अनुसार, कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीवीए (स्थिर मूल्यों पर) में पशुधन का योगदान 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 29.35 प्रतिशत (2019-20) तक हो गया है। 2019-20 में पशुधन क्षेत्र ने कुल जीवीए का 4.35 प्रतिशत योगदान दिया है। पशुधन क्षेत्र के विकास से दूध, अंडे एवं मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है (चित्र 20)।

चित्र 20: प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता (ग्राम/दिन), मांस (किलो प्रति वर्ष) और अंडे (प्रति वर्ष संख्या)

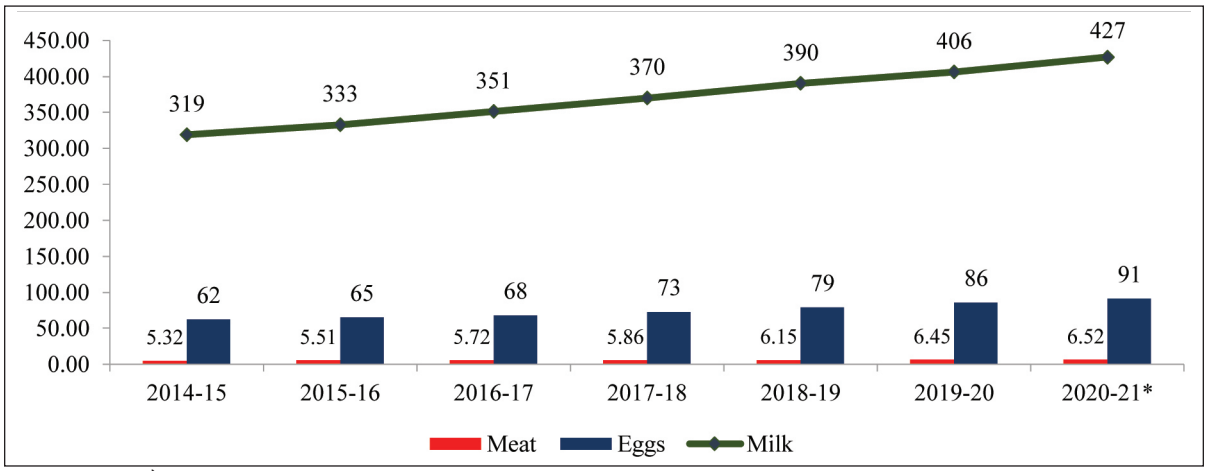

स्रोत: पशुपालन और डेयरी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

डेयरी क्षेत्र

7.39 डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। देश में दूध उत्पादन लगभग 6.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 2014-15 में 146.31 मिलियन टन था (चित्र 21)।

चित्र 21: भारत में दूध उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन)

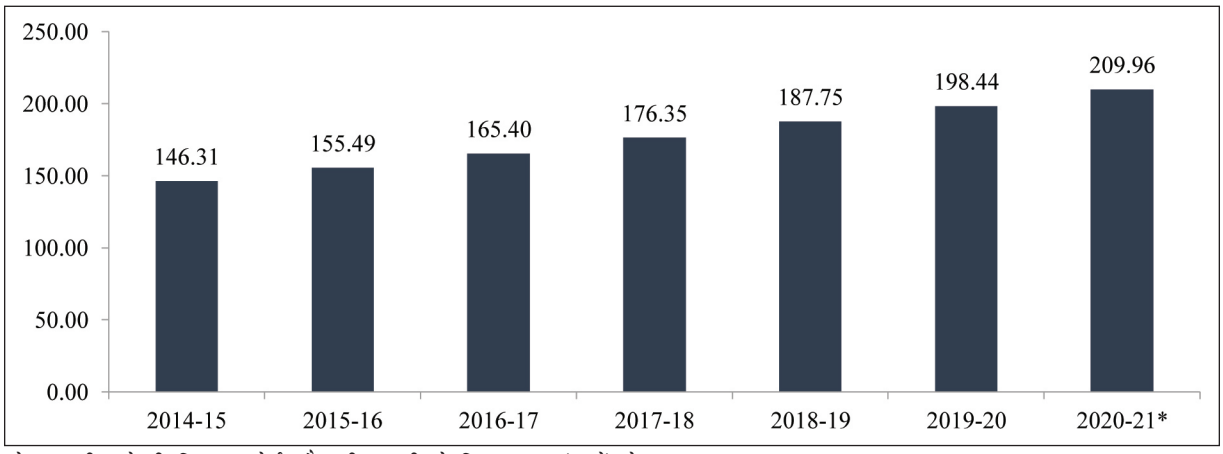

स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डीएएचडी से लिए गए आंकड़ों के आधार पर।
'डेटा अनंतिम है

7.40 वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 427 ग्राम प्रति दिन है। वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में अंतर्राज्यीय परिवर्तनशीलता चित्र 22 में दर्शाई गई है।

चित्र 22: वर्ष (2020-21') के दौरान दूध उत्पादन में अंतर-राज्यीय परिवर्तनशीलता (मिलियन टन में)और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)।

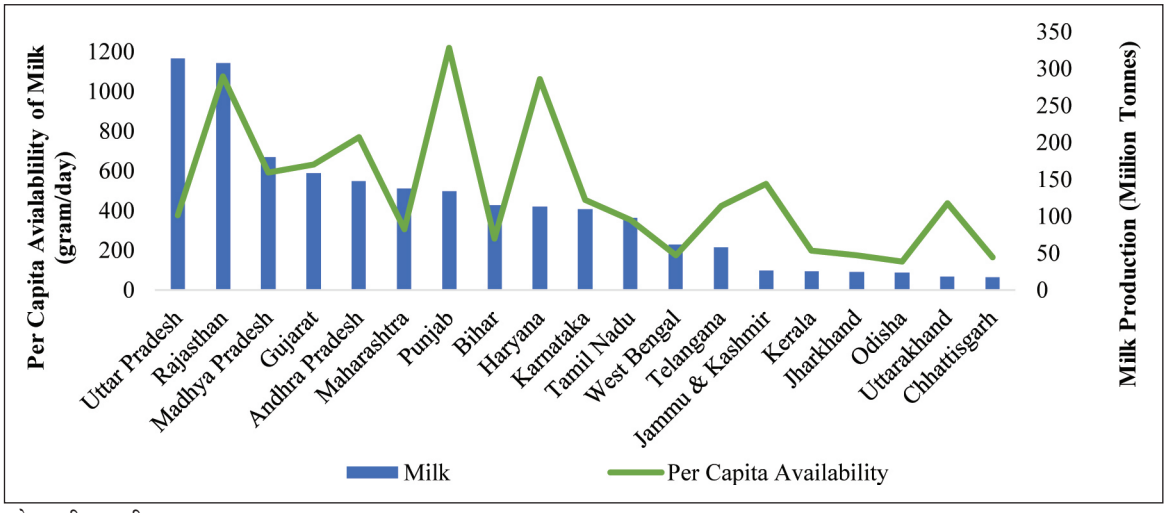

स्रोत: डीएएचडी।
रु दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिए तेलंगाना का आंकड़ा भी शामिल है।

अंडा एवं मांस उत्पादन

7.41 खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (एफएओएसटीएटी) उत्पादन डेटा (2020) के अनुसार, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2020-21 में 122.11 बिलियन (अनंतिम) हो गया है। वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 91 अंडे प्रति वर्ष है। देश में मांस उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 (अनंतिम) में 8.80 मिलियन टन हो गया है।

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में हाल की पहल

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

7.42 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), जो कि दुनिया में मानव या पशु टीकाकरण के लिए किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, को पैर एवं मुंह की बीमारी (एफएमडी) तथा ब्रुसेलोसिस को वर्ष 2030 तक नियंत्रित करने और अंततः उन्मूलन के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

7.43 एनएडीसीपी के तहत टीकाकरण दिनांक 31 जनवरी 2020 से शुरू किया गया था और देश में लॉकडाउन के कारण बाधित हो गया। एफएमडी टीकाकरण मई 2020 में फिर से शुरू किया गया था और 11 राज्यों में एफएमडी टीकाकरण का पहला दौर पूरा हो चुका है। वर्ष 2021-22 के दौरान, टीकाकरण का दूसरा चरण जुलाई, 2021 से शुरू हुआ और दिसंबर, 2021 तक 5 करोड़ पशुओं को एफएमडी और 27.8 लाख पशुओं को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया गया है। इसके अलावा, बीमारी के प्रकोप के प्रबंधन पर सलाह और दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)

7.44 एएनबी प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को वर्ष 2020 में प्रारम्भ किया गया था। एएचआईडीएफ एफपीओ, व्यक्तिगत उद्यमी, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियों तथा निजी कंपनियों द्वारा डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और कुल उधार के 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। दिनांक 17.12.2021 तक, इस योजना के तहत कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 1802.28 करोड़ रुपये की परियोजना लागत शामिल है। योजना के तहत जारी ब्याज अनुदान की राशि वर्ष 2020-21 के दौरान 12.74 करोड़ रुपए और 2021-22 के दौरान 6.40 करोड़ रुपए (17.1.2022 को) थी।

मत्स्य पालन

7.45 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.56 प्रतिशत हिस्सा है। यह देश के जीवीए में लगभग 1.24 प्रतिशत और कृषि जीवीए में 7.28 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में 145 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ वर्ष 2014-15 से 10.87 प्रतिशत की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। रोजगार के मामले में, विशेष रूप से उपेक्षित तथा कमजोर समुदायों के लिए यह क्षेत्र भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का पूर्ति करता है । वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य क्षेत्र से निर्यात आय 46,662.85 करोड़ रुपये थी।

7.46 मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के

लिए विगत वर्षों में कई पहल की हैं। मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में पशुपालन किसानों के अलावा मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी की सुविधा का विस्तार किया ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/लैंडिंग शुल्क आदि की लागत शामिल है। मौजूदा केसीसी धारकों के लिए क्रेडिट सीमा ₹ 3 लाख है, जबकि मत्स्य पालन के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल ₹ 2 लाख है। दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों को कुल 1,04,157 केसीसी जारी किए गए हैं और मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों के अतिरिक्त 5.04 लाख आवेदन जारी करने के विभिन्न चरणों में बैंकों के पास हैं।

7.47 इसके अलावा, सरकार ने एएनबी पैकेज के एक हिस्से के रूप में मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक ₹ 20,050 करोड़ की एक नई प्रमुख योजना शुरू की। पीएमएमएसवाई के तहत, प्रमुख भागीदारी में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, मत्स्य पालन और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा मजबूत मत्स्य प्रबंधन एवं नियामक ढांचे का विकास करना शामिल है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी संचार, 'प्रति बूंद अधिक फसल' प्राप्त करने के लिए अधिकतम जल प्रबंधन, मछली और मछली उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छता, बीमा, मूल्यवर्धन, मांग-आधारित ब्रांडिंग तथा विपणन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने और हितधारकों के लिए आर्थिक लाभ लाने वाली पहलों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना मत्स्य निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए 'कैच टू कंज्यूमर' से स्थिरता और पता लगाने की क्षमता को प्राथमिकता देती है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में नवीन उद्यमशीलता उद्यमों और व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के गतिशील विकास को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2021 तक, पीएमएमएसवाई के तहत, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 11295.12 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमे से 5584.74 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों को पहले ही केंद्र के हिस्से के रूप में 1975.63 करोड़ रुपए के साथ अनुमोदित किया जा चुका है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण

7.48 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण पर्यावरणीय रूप से स्थायी वैश्विक खाद्य प्रणाली के विकास में, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में तथा लागत को कम करके उपज को अधिकतम करके कृषि आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । इन उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए, भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने कृषि के मशीनीकरण एवं जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) आदि के मामले में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कुल 731 नई किस्मों/क्षेत्र फसलों की संकर और 98 बागवानी फसलों को अधिसूचित/जारी किया। प्राकृतिक खाद्य प्रणाली के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) ने वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्र और बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड और तनाव-सहनशील किस्मों सहित 35 विशेष किस्में विकसित की हैं, जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों की संख्या को 87 तक ले जाती है। आईसीएआर ने 1,29,266 केडबल्यूएच वार्षिक बिजली उत्पादन की औसत फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादन और लगभग 6 लाख रुपए के कुल राजस्व के साथ एकल भूमि उपयोग प्रणाली से फसल उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए 105 किलोवाट की एक कृषि-वोल्टाइक प्रणाली को भी डिजाइन और विकसित किया है। कृषि-वोल्टाइक प्रणाली ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन (598 टन सीओ2 बचत/वर्ष/हेक्टेयर) को भी कम करती है।

यंत्रीकरण

7.49 कृषि यंत्रीकरण से खेती की लागत कम होती है और अन्य साधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि होती है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में संचालित मशीनों की पैठ का आकलन 40 से 45 प्रतिशत (नाबार्ड, 2018) के बीच किया गया है। भारत में वर्ष 2019-20 में प्रमुख फसलों के लिए कृषि कार्यों में मशीनीकरण, बीज क्यारी तैयार करने, बुवाई/रोपण/रोपाई, निराई-अंतर-खेती और पौधा संरक्षण और कटाई और गहाई में क्रमशः 70, 38, 31 और 32 प्रतिशत रहा है। देश में कृषि मशीनीकरण के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर एक उप-मिशन (एसएमएएम) वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने और विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद में किसानों की सहायता के साथ-साथ कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान कुल 27828 सीएचसी तथा अकेले वर्ष 2020-21 के दौरान एसएमएएम योजना के तहत 9432 सीएचसी स्थापित किए गए है । सरकार ने फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस नामक बहुभाषी मोबाइल ऐप भी विकसित एवं प्रारम्भ किया है जो किसानों को अपने क्षेत्र में सीएचसी के माध्यम से कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर लेने में मदद करता है।

7.50 ट्रैक्टरों एवं पावर टिलर की बिक्री को कृषि यंत्रीकरण के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है (चित्र 23)। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई है। भारत में कृषि उपकरण बाजार वर्ष 2017 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और वर्ष 2022 तक इसके 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्रैक्टर बाजार वर्ष 2022 तक 7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र 23 : भारत में ट्रैक्टर और पावर टिलर की बिक्री (हजार संख्या में)

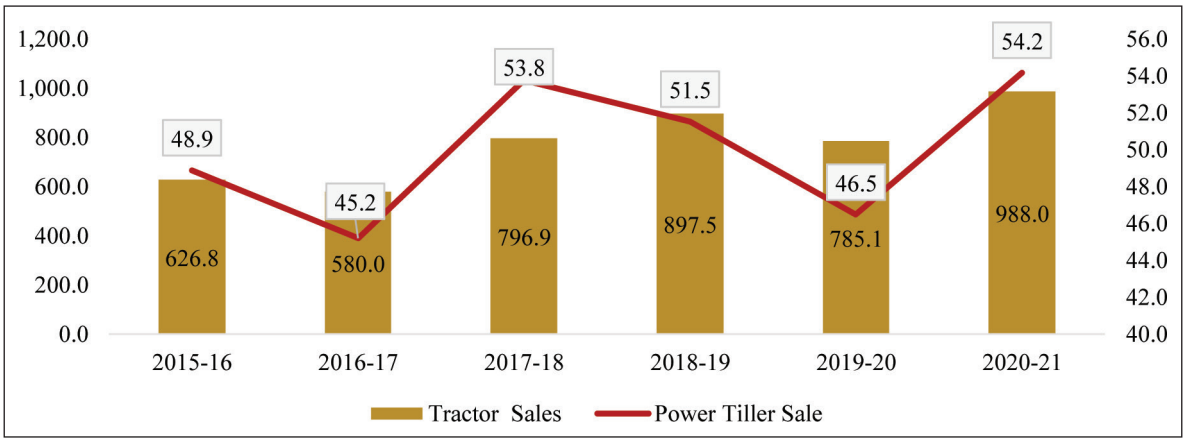

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

फसल अवशेष प्रबंधन

7.51 हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। इसलिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और किसानों के लिए फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' (सीआरएम) पर एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना ₹ 1791.80 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया

गया है । इस योजना के तहत, वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न कृषि मशीनरी की संख्या 51988 वितरित की गई और 15106 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए।

कृषि में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका

7.52 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और इसका अनुप्रयोग स्थायी कृषि प्रचलन की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है जो पोषण सुरक्षा एवं कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्यों में से आधे को पूरा करने की कुंजी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गरीबी और भूख को खत्म करने और असमानताओं को कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कई कीटों और रोगों के प्रतिरोधी और अजैविक तनाव के साथ जलवायु-लचीला किस्में कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

7.53 अनुसंधान[5] से पता चलता है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया उर्वरक सब्सिडी (0.88), बिजली सब्सिडी (0.79), शिक्षा (0.97) या सड़कों (1.10) पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर प्रतिफल की तुलना में बेहतर प्रतिफल (11.2) देता है। इसलिए, कृषि पर अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

7.54 वर्ष 2019-20 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र लगभग 11.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए का 9.87 प्रतिशत तक का गठन किया है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2017-18 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार में 12.38 प्रतिशत (एनआईसी वर्गीकरण के 3-अंकों पर) की हिस्सेदारी वाले प्रमुख रोजगार गहन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2017-18 के नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 19.33 लाख थी। अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एनएसएसओ 73वें दौर, वर्ष 2015-16 के अनुसार 51.11 लाख श्रमिकों को रोजगार का समर्थन करता है और इस प्रकार अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 14.18 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण में एफपीआई की हिस्सेदारी एवं एफपीआई (जीवीए-एफपीआई) के जीवीए में वृद्धि को चित्र 24 में देखा जा सकता है।

चित्र 24 : विनिर्माण जीवीए में एफपीआई का हिस्सा (प्रतिशत में)

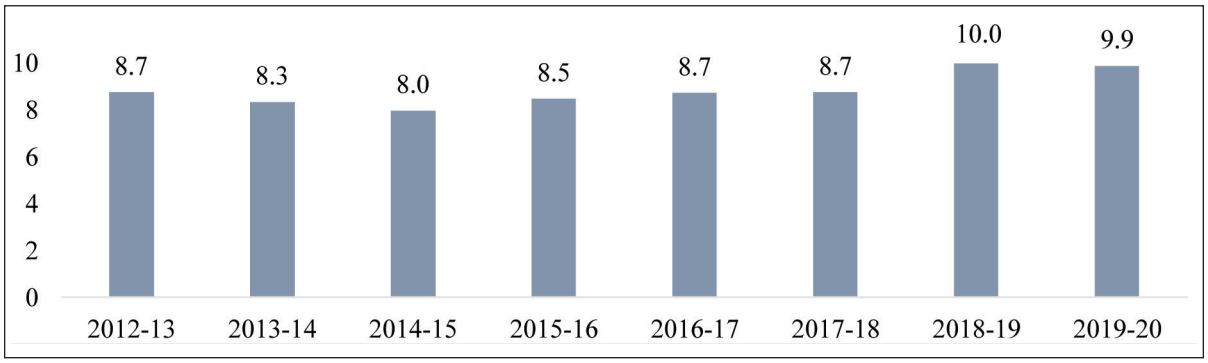

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

[5]गुलाटी, ए., झोउ, वाई. और फेरोनी एम. (2018), ''सपोर्टिंग इंडियन फार्म्स: द स्मार्ट वे'', एकेडमिक फाउंडेशन आईसीआरआईईआर के सहयोग से।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई

7.55 एफपीआई में स्व-अनुमोदित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। हालांकि, ई-कॉमर्स सहित भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में व्यापार के मामले में, सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। अप्रैल 2014 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह देखा गया है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान एफपीआई क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 410.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछली समान अवधि में यह 220.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफपीआई में वर्ष-वार एफडीआई अंतर्वाह को चित्र 25 में देखा जा सकता है।

चित्र 25: वर्ष-वार (अप्रैल-मार्च) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

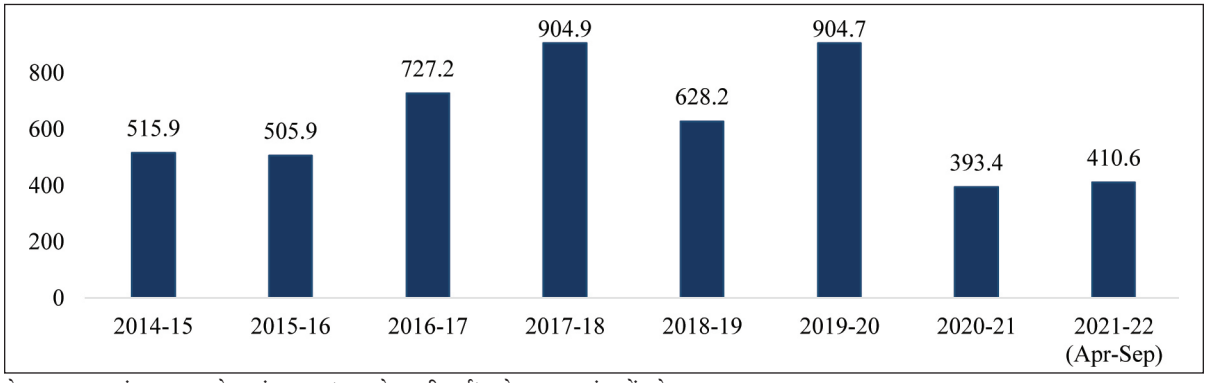

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

प्रधानमंत्री-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पीएम-एफएमई)

7.56 एएनबी मिशन के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2020-2025 की अवधि में ₹ 10,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम-एफएमई शुरू की है। इस योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 710 जिलों में 137 विशिष्ट उत्पादों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की स्थिति को मंजूरी दी गई है। ₹ 200.30 करोड़ के परिव्यय के साथ 75 प्रस्तावों को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 52 प्रस्तावों को वर्ष 2020-21 में और 23 को वर्ष 2021-22 में अनुमोदित किया गया।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.57 अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीएमकेएसवाई के तहत, मंत्रालय विभिन्न घटक योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मेगा फूड पार्क, (ii) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, (iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (v) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार, (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स और (vii) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। दिनांक 28.12.2021 को स्वीकृत और पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं की स्थिति चित्र 26 में देखी जा सकती है।

चित्र 26: पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत और पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं की स्थिति

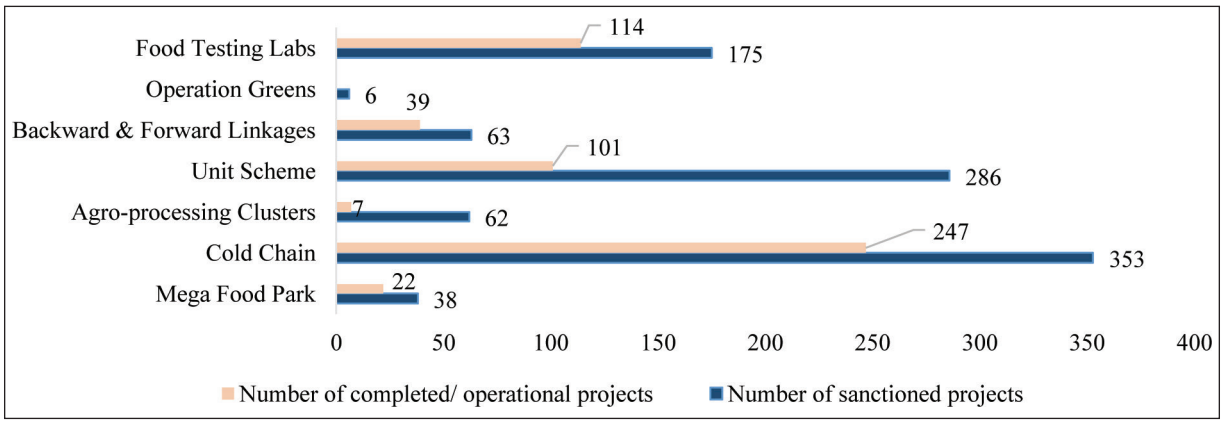

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

टॉप योजना

7.58 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उपस्कर, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) फसलों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना दो घटकों के साथ शुरू की गई थी:

(i) **दीर्घकालिक :** वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स - इसके तहत टॉप फसलों के लिए पूंजी निवेश परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसरण में, इस योजना के दायरे को टॉप से बाईस नष्ट होने वाले उत्पादों तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) **अल्पकालीन :** मूल्य स्थिरीकरण के उपाय - इसके अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्रों तक टॉप फसलों के आधिक्य उत्पादन की निकासी के लिए कटाई के समय परिवहन तथा भंडारण पर 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को भी दिनांक 12.10.2020 से किसान रेल योजना तक बढ़ा दिया गया था। एएनबी घोषणा के एक भाग के रूप में योजना के तहत अल्पकालिक उपायों का दायरा दिनांक 11.06.2020 से टॉप से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 15.12.2021 तक लगभग 5.68 लाख मीट्रिक टन फलों एवं सब्जियों के परिवहन के समक्ष 115.01 करोड़ रुपये की परिवहन सब्सिडी जारी की गई है।

खाद्य प्रबंधन

7.59 खाद्य प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को कम कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण एवं खाद्य सुरक्षा तथा मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव है। ये सभी किसानों से एमएसपी पर खरीद एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर विक्रय पर उपयोग किए जाते हैं। खाद्यान्नों की खरीद, वितरण एवं भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) है। खाद्यान्न का वितरण मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाता है।

खाद्यान्नों की खरीद

7.60 खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, 642.58 एलएमटी के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 601.85 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की खरीद की गई। केएमएस 2021-22 में, 16.01.

2022 तक कुल 566.58 एलएमटी धान (379.98 एलएमटी चावल के बराबर) की खरीद की गई। आरएमएस 2021-22 के दौरान, आरएमएस 2020-21 के दौरान खरीदे गए 389.92 एलएमटी के मुकाबले 433.44 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई। इसके अलावा, खरीफ और रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान, लगभग 11.87 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की गई है जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

खाद्यान्नों का आवंटन

7.61 कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की। हालांकि, निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता, योजना को विभिन्न चरणों में विस्तारित और कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में पीएमजीकेएवाई का पांचवां चरण दिसंबर, 2021 से मार्च 2022 तक चल रहा है। इस योजना के तहत, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न सभी चरणों में एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 322 एलएमटी खाद्यान्न और वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत लगभग 437.37 एमएमटी खाद्यान्न मुफ्त आवंटित किया गया है।

7.62 वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने 2020-21 में 948.48 लाख टन की तुलना में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1052.77 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया।

चावल का दृढ़ीकरण और उसका वितरण

7.63 भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 'चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण' को दिनांक 14.02.2019 को 3 साल की अवधि के लिए वर्ष 2019-20 से शुरू करने की मंजूरी दी है । पायलट योजना 15 जिलों (प्रति राज्य 1 जिला) में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित ग्यारह राज्यों ने पायलट योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। पायलट योजना के तहत दिसंबर 2021 तक लगभग 3.38 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा चुके हैं।

7.64 सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों आदि में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने के लिए देश में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को बढ़ाने के प्रयास में वर्ष 2021-22 के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना तथा पीएम पोषण योजनाओं के तहत देश में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना शुरू की है। देश भर में आईसीडीएस तथा पीएम पोषण के तहत वितरण के लिए एफसीआई और विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों द्वारा लगभग 19.79. एलएमटी (04.01.2022 को) फोर्टिफाइड चावल की खरीद की गई है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

7.65 "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" योजना के तहत जो वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की गई थी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली शुरू की गई है। योजना की वैधता मौजूदा 31.03.2022 से बढ़ाकर 31.03.2023 कर दी गई। इस प्रणाली के माध्यम से प्रवासी लाभार्थी एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपनी खाद्य सुरक्षा पात्रता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में, लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों (कुल एनएफएसए आबादी का 94.3 प्रतिशत)

को शामिल करते हुए 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय/अंतर्राजीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा सक्षम है। शेष दो राज्यों के लाभार्थियों तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खुला बाजार विक्रय प्रणाली

7.66 बफर स्टॉक बनाए रखने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने का प्रावधान करने के अलावा, एफसीआई सरकार के निर्देश पर खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक का विक्रय करता है, जो [ओएमएसएस (डी)] समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर आरक्षित मूल्य कहलाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत खुले बाजार में केंद्रीय पूल से खुदरा बिक्री सहित एफसीआई द्वारा बिक्री के लिए 75 एलएमटी गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही एफसीआई द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत खुले बाजार में केंद्रीय पूल से 50 एलएमटी चावल बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।

7.67 दिनांक 08.04.2020 से ओएमएसएस (डी) वर्ष 2020-21 नीति के तहत, वर्तमान लॉक डाउन की स्थिति के कारण प्रवासी मजदूरों / कमजोर समूहों के लिए राहत या सामुदायिक रसोई चलाने में लगे सभी धर्मार्थ या गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए एक विशेष व्यवस्था शुरू की गई थी। इस योजना के तहत धर्मार्थ संस्थानों/एनजीओ को एक समान दर पर गेहूं 21 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जारी किया जाता है। किसी भी एफसीआई डिपो से ऐसे प्रत्येक संगठन को खाद्यान्न के आवंटन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह विशेष छूट प्रारंभ में जून 2020 तक थी जिसे शेष वर्ष 2020-21 के लिए समान दर, नियम और शर्तों पर बढ़ा दिया गया था। कोविड महामारी के फिर से उभरने के मद्देनजर उक्त विशेष छूट को 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी बाद में हो, उसी दर, नियम और शर्तों पर बढ़ा दिया गया था। इस योजना के तहत, 1126 संगठनों ने 10422 मीट्रिक टन चावल और 230 संगठनों ने 25.03.2021 तक 1,246 मीट्रिक टन गेहूं उठाया था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 में, 34 संगठनों ने 847 मीट्रिक टन चावल उठाया है और 6 संगठनों ने दिनांक 13.01.2022 तक 10 मीट्रिक टन गेहूं उठाया है। पिछले पांच वर्षों और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा चित्र 27 में दी गई है।

चित्र 27: पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत बेचे गए गेहूं एवं चावल की बिक्री (मात्रा एलएमटी)

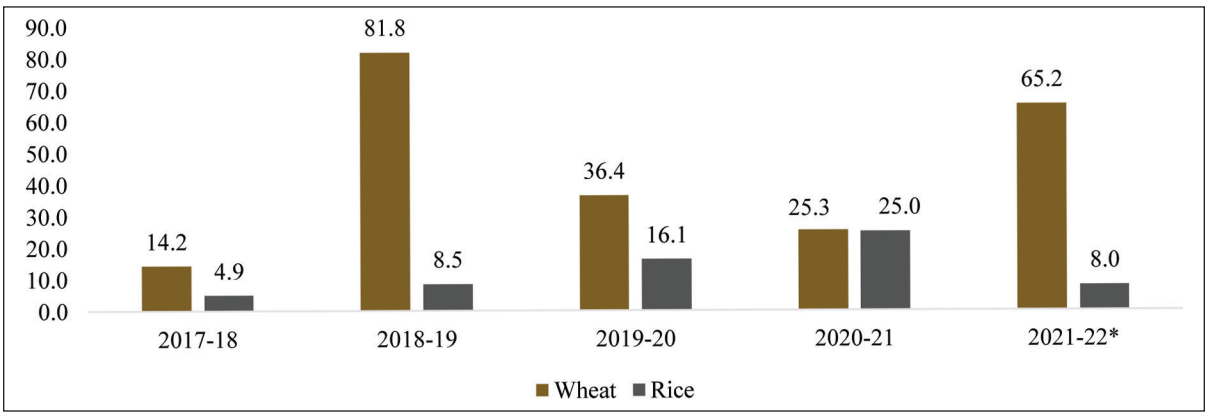

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

*जनवरी 2022 तक की तीसरी साप्ताहिक ई-नीलामी

खाद्य सब्सिडी

7.68 प्रति क्विंटल आर्थिक लागत एवं प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच का अंतर प्रति क्विंटल खाद्य सब्सिडी की मात्रा बताता है। गेहूं की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 1908.32 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2993.80 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चावल की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 2615.51 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4293.79 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। हालांकि, गरीबों के मदद करने वाले उपाय के रूप में, एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सीआईपी को एनएफएसए के प्रारंभ होने के बाद से संशोधित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच के अंतर को कम करने के लिए खाद्य प्रबंधन की दक्षता में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। खाद्य सब्सिडी बिल में एक प्रवृत्ति चित्र 28 में देखी जा सकती है।

चित्र 28: खाद्य सब्सिडी (₹ हजार करोड़ में) और खाद्य सब्सिडी में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

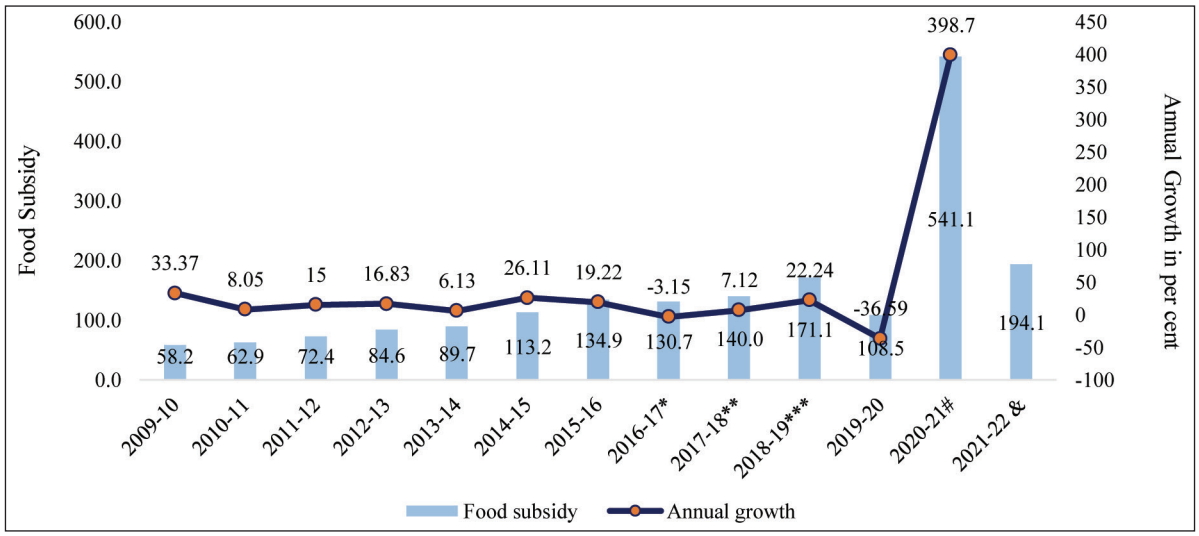

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

*इसमें एफसीआई को ₹ 25000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण शामिल है। ** इसमें एफसीआई को ₹ 40000 करोड़ का राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) ऋण शामिल है। ***इसमें एफसीआई को ₹ 70000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण शामिल है। वित्त वर्ष 2019-20 में एमओएफ के निर्देश के अनुसार एफसीआई को स्वीकृत अप्रयुक्त एनएसएसएफ ऋण से डीसीपी राज्य को ₹ 11436 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है। दिनांक 31.10.2021 को ₹ 11436 करोड़ में से ₹ 10000 करोड़ एफसीआई को चुका दिए गए हैं। & 18.01.2022 तक

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

7.69 सरकार ने अब 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने के लिए 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के दौरान 10 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने चीनी मिलों या स्टैंडअलोन से जुड़ी भट्टियों द्वारा विभिन्न फीड स्टॉक जैसे बी-हाई और सी-हाइ शीरा, गन्ने का रस, चीनी सिरप, चीनी और अधिशेष एफसीआई चावल, मक्का, आदि सहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है । देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए योग्य आसवनियों को ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत इथेनॉल आपूर्ति, जो इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में केवल 38 करोड़ लीटर थी, ईएसवाई 2019-20 के दौरान बढ़कर 173.3 करोड़ लीटर हो गई है और ईएसवाई 2020-21 लगभग 8.1 प्रतिशत सम्मिश्रण

प्राप्त करने के लिए वर्ष के अंत तक 302 करोड़ लीटर से अधिक होने की उम्मीद है। ईएसवाई वर्ष 2021-22 के लिए एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य 10 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2025 तक उत्तरोत्तर बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है।

भंडारण

7.70 एफसीआई के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का एक हिस्सा और निजी क्षेत्र से किराए पर ली गई क्षमता का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है। दिनांक 31.12.2021 को खाद्यान्न के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 961.73 एलएमटी थी, जिसमें 792.81 एलएमटी के आच्छादित गोदाम और 168.92 एलएमटी की कवर्ड एवं प्लिंथ (सीएपी) सुविधाएं शामिल थीं। 961.73 एलएमटी की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से 463.24 एलएमटी की क्षमता एफसीआई के पास और 498.49 एलएमटी राज्य एजेंसियों के पास थी। इसके अलावा, 31.12.2021 तक, निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत 144.34 एलएमटी की क्षमता बनाई गई है जिसमें गोदामों का निर्माण पीपीपी मोड में किया जाता है।

7.71 सरकार पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, एफसीआई को भूमि अधिग्रहण एवं भंडारण गोदामों के निर्माण और रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, वेटब्रिज की स्थापना आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए इक्विटी के रूप में प्रत्यक्ष निधि जारी किया जाता है। इन राज्यों में भंडारण अंतराल के साथ-साथ कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में भी धनराशि जारी की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में कुल 1,84,175 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण किया गया था। इस योजना को आगे पांच साल के लिए 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 31.12.2021 तक कुल 82,760 मीट्रिक टन (एफसीआई द्वारा 65,870 मीट्रिक टन और राज्य सरकारों द्वारा 16,890 मीट्रिक टन) की कुल क्षमता बनाई गई है।

7.72 भारत सरकार ने भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा भंडारित खाद्यान्न के शेल्फ जीवन में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में देश में स्टील साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना/रोड मैप को भी मंजूरी दी है। साइलो विकास योजना के तहत दिनांक 31.12.2021 तक देश भर के विभिन्न स्थानों में 29.25 एलएमटी क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें से 11.125 लाख मीट्रिक टन की क्षमता पूरी हो चुकी है और शेष विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

उर्वरक

7.73 सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर यूरिया तथा 24 ग्रेड पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक फास्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों का संबंध है, सरकार दिनांक 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना लागू कर रही है। उक्त योजना के तहत, सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटासिक (पी एंड के) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर इसकी पोषक सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। चित्र 29 उर्वरकों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा वर्षों से प्रदान की गई उर्वरक सब्सिडी को दर्शाता है। चित्र 30 तथा 31 उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन और आयात को दर्शाते हैं।

चित्र 29: उर्वरक सब्सिडी (₹ हजार करोड़ में)

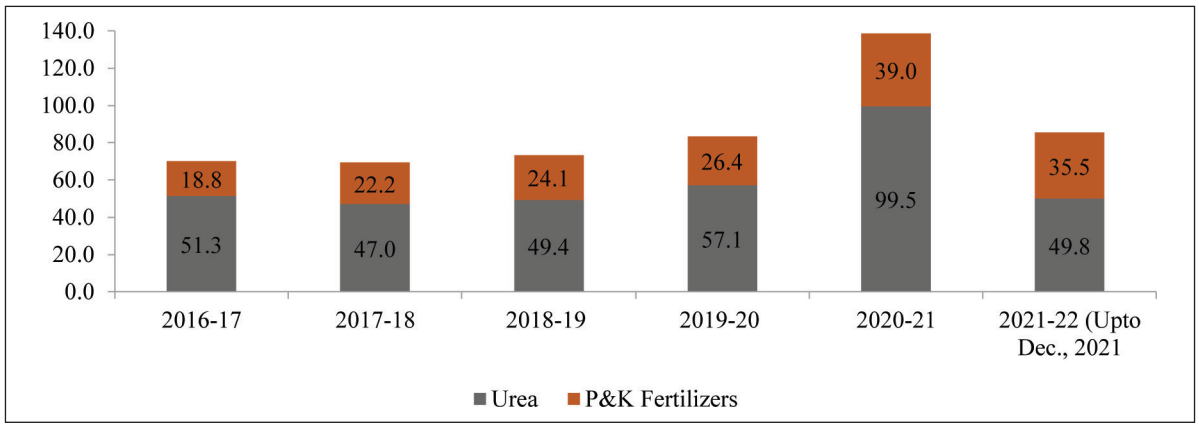

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 30: उर्वरकों का उत्पादन (एलएमटी)

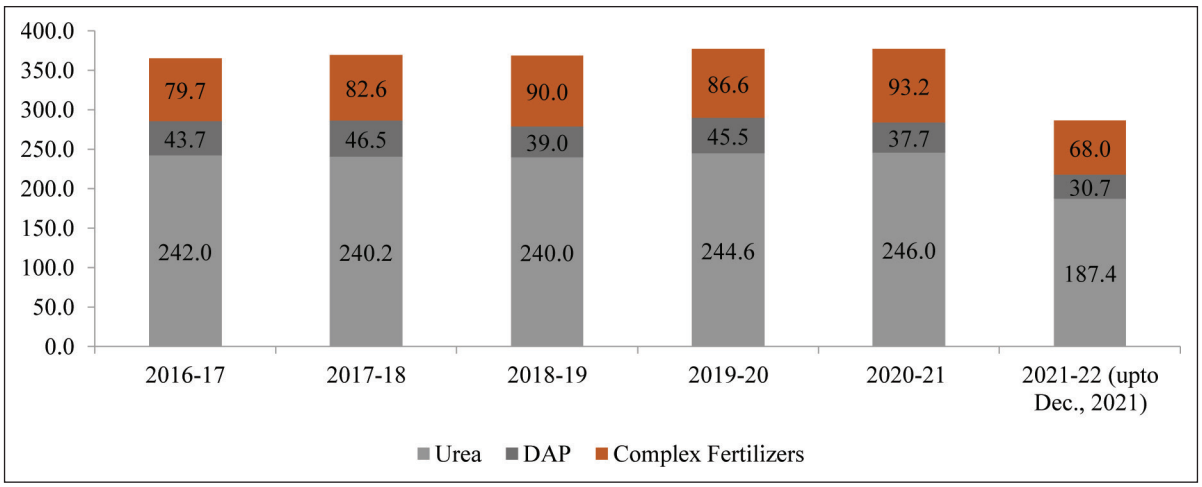

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 31: उर्वरकों का आयात (एलएमटी)

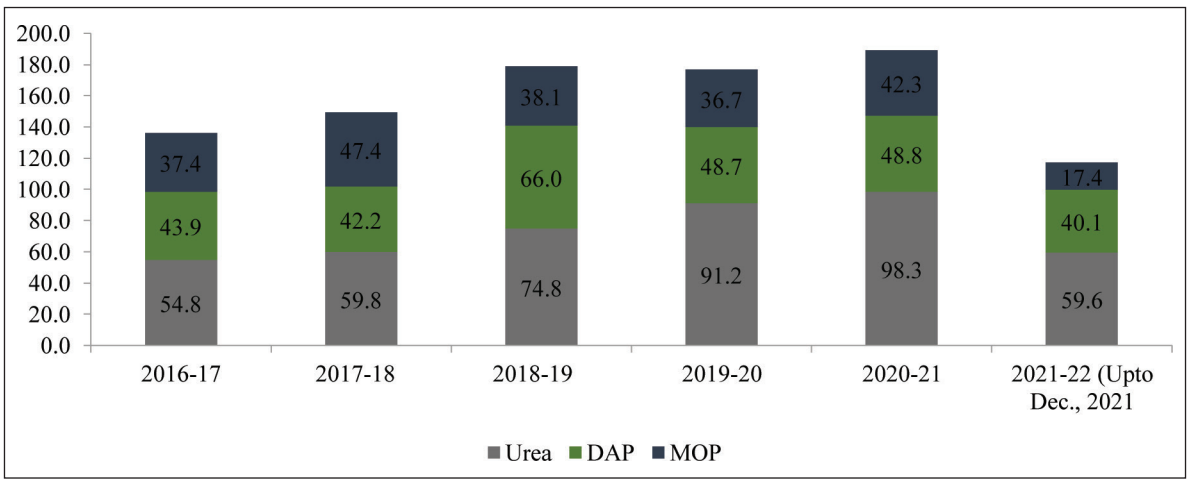

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

7.74 आयात पर निर्भरता से निपटने और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, नई यूरिया नीति-2015 को स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने, उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया है। सरकार ने यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों के लिए केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने चीनी मिलों द्वारा उप-उत्पाद के रूप में इसके निर्माण को बढ़ावा देने और इसकी आयात निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत मोलासिस (पीडीएम) से व्युत्पन्न पोटाश लाया है। कोयला गैसीकरण जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियां; प्वाइंट ऑफ सेल मशीन आदि के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

7.75 कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन कोविड-19 के प्रभाव के प्रति लचीला रहा है। यह क्षेत्र वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा और वर्ष 2021-22 में सुधरकर 3.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि, जैसा कि नवीनतम एसएएस रिपोर्ट द्वारा दिखाया गया है, जोत के विखंडन ने वैकल्पिक स्रोतों जैसे पशुधन, मत्स्य पालन और मजदूरी श्रम को कृषि परिवार के लिए उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। किसानों की वृद्धि और आय में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों का बढ़ता महत्व इंगित करता है कि संबद्ध गतिविधियों की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लघु जोत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

7.76 तिलहन, दलहन और बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को सिंचाई, निवेश, ऋण और उनकी खेती में बाजार के मुख्य मुद्दों को संबोधित करके प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संकेत के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपयोग को अपनाया है, वहीं किसानों की आय स्थायी तरीके से दोगुना करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए उच्च मूल्य और कम पानी की खपत वाली फसलों को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से समन्वित कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

7.77 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास स्थायी कृषि अभ्यास की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं जो पोषण सुरक्षा और कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। अनुसंधान से पता चलता है कि कृषि अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया, सब्सिडी पर खर्च किए गए धन या साधन पर अन्य व्यय की तुलना में बेहतर प्रतिफल प्रदान करता है। इसलिए कृषि अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि से फसल और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हो सकता है।

7.78 विकल्पों का पता लगाने और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो मिट्टी की रक्षा करते हैं, अधिक उत्पादक हैं और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता में योगदान करते हैं। ड्रोन और एआई-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी और कम लागत वाले जैविक साधन के उपयोग और नवाचार समर्थित स्टार्ट-अप सहित नई तकनीक के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।